

**अध्याय-I**  
**राज्य सरकार के वित्त**



## अध्याय-I

### राज्य सरकार के वित्त

इस अध्याय में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के मुख्य राजकोषीय समुच्चयों तथा इसकी आधारित संरचना की रूपरेखा के पिछले रूझानों के प्रति, बेंचमार्किंग द्वारा वित्त को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। **परिशिष्ट 1.1** में जम्मू-कश्मीर सरकार की रूपरेखा तथा मुक्त संरचना से संबंधित विकास संकेतक दिए गए हैं तथा **परिशिष्ट 1.2** में राज्य सरकार के वित्त लेखों की संरचना तथा रूपरेखा दी गई है जिस पर यह रिपोर्ट आधारित है, **परिशिष्ट 1.3** में राज्य की राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति की रूपरेखा संक्षिप्त में दी गई है।

#### 1.1 राज्य की रूपरेखा

जम्मू एवं कश्मीर (जे एंड के) राज्य पाकिस्तान तथा चीन से अपनी सीमाओं से जुड़े होने के साथ-साथ भौगोलिक रूप से 2.22 लाख वर्ग कि.मी के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें चीन तथा पाकिस्तान द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ 1.21 लाख वर्ग किमी. का क्षेत्र शामिल है। जम्मू एवं कश्मीर देश के भौगोलिक क्षेत्र का 6.76 प्रतिशत क्षेत्र होने के साथ भारत का छठा बड़ा राज्य है। राज्य के तीन क्षेत्र अर्थात् कश्मीर, जम्मू तथा लद्दाख, 22 जिलों में व्यवस्थित हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी 1.25 करोड़ थी। वर्ष 2001-11 के दौरान जनसंख्या में दशकीय विकास पर, वर्ष 1991-2001 की तुलना में 29.43 प्रतिशत से घटकर 23.71 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2001 के मुकाबले वर्ष 2011 में, राज्य की प्रतिवर्ग किमी. आबादी 100 प्रतिवर्ग किमी. से बढ़कर 124 प्रतिवर्ग किमी, हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में भी 2001 में 892 से 889 तक गिरावट दर्ज की गई।

वर्ष 2001 से 2011 के दशक के दौरान राज्य की साक्षरता दर, राष्ट्रीय स्तर के 64.84 प्रतिशत से 74.04 प्रतिशत के प्रति 55.52 प्रतिशत से 67.16 प्रतिशत तक बढ़ गई।

**राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)**

दी गई समय सीमा के भीतर आधारिक तौर पर स्वीकृत राज्य के उत्पादित अंतिम माल एवं सेवाओं की एक बाजार लागत जीएसडीपी होती है। जीएसडीपी की विकास दर, राज्य की आबादी के जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। चालू कीमतों तथा स्थिर कीमतों पर, भारत की जीडीपी तथा जम्मू-कश्मीर की जीएसडीपी की वार्षिक विकास दर की प्रवृत्तियां नीचे दी गई हैं:

**तालिका 1.1: जीडीपी के साथ-साथ जीएसडीपी का तुलनात्मक विवरण**


वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>चालू कीमते</b>					
भारत की जीडीपी (₹करोड़ में)	1,12,33,522	1,24,67,959	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
जीडीपी की विकास दर (प्रतिशत)	12.97	10.99	10.40	10.82	9.96
राज्य की जीएसडीपी (₹करोड़ में)	95,619	98,370	1,17,187	1,26,847	1,40,887*
जीएसडीपी की विकास दर (प्रतिशत)	9.73	2.88	19.13	8.24	11.07
<b>पड़ोसी राज्यों की वृद्धि दर</b>					
पंजाब	11.56	6.91	9.85	9.81	10.03
हिमाचल प्रदेश	14.42	9.51	9.23	9.6	9.4
<b>लगातार मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)</b>					
भारत की जीडीपी (₹करोड़ में)	98,01,370	1,05,27,674	1,13,86,145	1,21,96,006	1,30,10,843
जीडीपी की विकास दर (प्रतिशत)	6.39	7.41	8.15	7.11	6.68
राज्य की जीएसडीपी (₹करोड़ में)	87,570	87,921	91,850	98,826	1,09,137
जीएसडीपी की विकास दर (प्रतिशत)	13.85	0.4	4.46	7.59	10.43

स्रोत: आर्थिक निदेशालय तथा सांख्यिकी विभाग, जम्मू एवं कश्मीर, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन की वेबसाइट  
भारत सरकार @ एफआरबीएम वित्त विभाग, जे एंड के

### 1.1.1 राजकोषीय लेन-देन का सार

#### चार्ट 1.1: सरकार के लेखों की संरचना

सरकारी वित्त में निम्नलिखित सम्मिलित है:



स्रोत:- बजट नियमपुस्तिका पर आधारित

चालू वर्ष (2017-18) के साथ-साथ पिछले वर्ष (2016-17) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सार (परिशिष्ट 1.4 और 1.5) में नीचे दिया गया है:

#### तालिका 1.2: चालू वर्ष में राजकोषीय प्रचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2016-17	2017-18		2016-17	2017-18
भाग (क) राजस्व			भाग (क) राजस्व		
राज्य के अपने कर राजस्व	7,819	9,536	सामान्य सेवाएँ	15,110	16,888
राज्य का अपना गैर-कर राजस्व	4,072	4,362	सामाजिक सेवाएं	11,564	13,117

संघीय करो/शुल्कों का हिस्सा	9,489	11,912	आर्थिक सेवाएं	13,138	10,911
भारत सरकार से अनुदान	20,598	22,702	-	-	-
राजस्व प्राप्तियां	41,978	48,512	राजस्व व्यय	39,812	40,916
भाग (ख) पूंजी			भाग (ख) पूंजी		
-	-	-	पूंजीगत परिव्यय	8,286	10,353
ऋण और अग्रिमों की वसूली	19	4	ऋण और अग्रिम वितरित	76	25
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां###	20,749	25,557	सार्वजनिक ऋण का पूर्णभुगतान###	17,023	22,490
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-	-
लोक लेखा प्राप्तियां@	21,811	15,122	लोक लेखा संवितरण#	19,458	15,286
अथ नकद शेष	527	429	अन्त नकद शेष	429	554
कुल	85,084	89,624		85,084	89,624


स्रोत: वित्त लेखे

@#ये निवेश के नकद लेन-देन को तथा विभागीय शेष योक्त को शामिल नहीं करता है। (@₹15,576 करोड़ की प्राप्तियां, #₹15,576 संवितरण), लेन-देन के शुद्ध प्रभावों को आरंभिक व समाप्त शेष में समीकरण अगली पंक्ति के नीचे दिया गया है।

##अर्थोपाय अग्रिम शामिल है।

**परिशिष्ट 1.5** चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ समग्र राजकोषीय स्थिति के विवरण उपलब्ध कराता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य की समेकित निधि में संसाधनों की रचना तथा निधियों का प्रयोग नीचे दिया गया है:-



### 1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

#### जम्मू एवं कश्मीर में राजकोषीय सुधारों का मार्ग

जम्मू एवं कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 14 अगस्त 2006 को लागू हुआ। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2009-10 तक जीएसडीपी के राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत कम करना था। एफआरबीएम अधिनियम के तहत सरकार के आवश्यक खरीद निर्धारित किया गया तथा उसमें संशोधन किया गया तथा इसके क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट 1.6** तथा **परिशिष्ट 1.7** में क्रमशः दी गई है।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 14वें वित्त आयोग ने राज्य के लिए जीएसडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि पर 11.78 प्रतिशत निर्धारित की थी। विकास, राजस्व तथा राजकोषीय प्रबंधन के संबंध में, सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नए लक्ष्य निर्धारित किए गए।

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, बजट में प्रमुख राजकोषीय परिवर्तों दिए गए हैं तथा राज्य द्वारा बजट में यथा अनुमानित नीचे दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय परिवर्तियों की अनुमान किए गए लक्ष्य से परिवर्तन (जीएसडीपी का प्रतिशत)


वित्तीय परिवर्ती	2017-18				
	14वें वि.आ के अनुसार अनुमान	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तविक	अनुमानों से वास्तविक का परिवर्तन	
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 8.85	6.78	5.39	14.24	(-)1.39
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी	3	6.15	1.97	(-)1.03	(-)4.18
जीएसडीपी को कुल बकाया ऋण (वित्तीय देयताएं) का अनुपात	47.30	-	48.41	1.11	-

राजकोषीय घाटा 14वें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमान तथा बजट में निर्धारित उद्देश्य के अनुसार था। 48.41 प्रतिशत पर जीएसडीपी के प्रति बकाया देयताओं (राजकोषीय देयताओं) का अनुपात 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से अधिक था।

### 1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक

बजट के दस्तावेज, एक विशेष राजकोषीय वर्ष के लिए राजस्व तथा व्यय का अनुमान उपलब्ध कराते हैं। जहां तक संभव हो, राजस्व तथा व्यय के अनुमान सही दिए जाए, ताकि कारणों का पता लगाने के लिए भिन्नताओं का विश्लेषण किया जा सके।

चार्ट 1.4: चयनित राजकोषीय मानक: 2017-18 के लिए वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान



स्रोत:- बजट तथा वित्त लेखा



₹58,068 करोड़ के लक्ष्य निर्धारित के रूप में राजस्व प्राप्तियों के प्रति वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹48,512 करोड़ (83.54 प्रतिशत) थी, जिसका मुख्य कारण सहायता अनुदान में कम राशि प्राप्त होना था।

₹5,308 करोड़ की प्रत्याशित प्राप्तियों के प्रति गैर-कर प्राप्तियां ₹4,362 करोड़ (82.18 प्रतिशत) थी, जिसका मुख्य कारण विद्युत के तहत कम प्राप्तियां होना था।

₹48,819 करोड़ के बजट प्रावधान से राजस्व व्यय ₹7,903 करोड़ कम था, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के तहत आर्थिक सेवाओं में व्यय कम हुआ।

कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्र के तहत आर्थिक सेवाओं में कम व्यय होने के कारण, ₹27,508 करोड़ के बजट अनुमान के प्रति ऋण तथा अग्रिमों सहित पूंजीगत व्यय ₹10,378 करोड़ पर, ₹17,130 करोड़ तक कम था।

### 1.1.4 उत्थान अनुपात

उत्थान अनुपात परिवर्ती आधार में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्ती की प्रतिक्रियाशीलता के लचीलेपन अथवा डिग्री को व्यक्त करता है। राजस्व प्राप्तियां, राज्य के अपने कर राजस्व, कुल व्यय तथा राजकोषीय देनदारियों का उत्थान अनुपात नीचे दिया गया है:-

तालिका 1.4: राजस्व प्राप्तियों राज्य के अपने कर राजस्व, कुल व्यय तथा राजकोषीय देनदारियों का जीएसडीपी की तुलना में उत्थान अनुपात

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>जीएसडीपी (₹करोड़ में)</b>	95,619	98,370	1,17,187	1,26,847	1,40,887
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.73	2.88	19.13	8.24	11.07
<b>राजस्व प्राप्तियां (आरआर)</b>					
वर्ष के दौरान आरआर (₹करोड़ में)	27,128	28,939	35,781	41,978	48,512
आरआर की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	3.47	6.68	23.64	17.31	15.56
जीएसडीपी के साथ आरआर का उत्थान	0.36	2.32	1.24	2.1	1.41
<b>राज्य का अपना कर राजस्व (एसओटीआर)</b>					
वर्ष के दौरान एसओटीआर (₹करोड़ में)	6,273	6,334	7,326	7,819	9,536
एसओटीआर की विकास दर (प्रतिशत में)	7.54	0.97	15.66	6.73	21.96
जीएसडीपी के साथ एसओटीआर का उत्थान	0.77	0.34	0.82	0.82	1.98
<b>कुल व्यय (टीई)</b>					
वर्ष के दौरान टीई (₹करोड़ में)	31,686	34,550	43,845	48,174	51,294
टीई की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	4.11	9.04	26.9	9.87	6.48
जीएसडीपी के साथ टीई का उत्थान	0.42	3.14	1.41	1.2	0.59
<b>राजकोषीय देयताएं (एफएल)</b>					
साल के अंत में एफएल (₹करोड़ में)	44,673	48,314	55,358	62,219	68,217
एफएल की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.94	8.15	14.57	12.39	9.64
एफएल के उछाल की वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.12	2.83	0.76	1.5	0.87


स्रोत: संबंधित वर्षों का वित्त लेखा जीएसडीपी के साथ एफएल का उत्थान

वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के जीएसडीपी के संबंध में एसओटीआर में उत्थान अधिक था। 2014-15 से 2017-18 के दौरान आरआर की वृद्धि दर, जीएसडीपी की वृद्धि दर से अधिक थी। 2017-18 के दौरान टीई की वृद्धि दर जीएसडीपी की वृद्धि दर से कम थी।

## 1.2 वित्त लेखों 2017-18 के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजी, प्राप्तियों की दो धाराएं हैं, जो राज्य सरकार के संसाधनों को सृजित करती हैं। राजस्व प्राप्तियां कर राजस्वों गैर-कर राजस्वों संघीय करों तथा शुल्कों के राज्य के भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से मिलकर बनी होती हैं। पूंजी प्राप्तियां विविध पूंजी प्राप्तियों जो विनिवेश, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेना) तथा भारत सरकार से प्राप्त के साथ-साथ लोक लेखा से प्रोद्भूत ऋणों एवं अग्रिमों से मिलकर बनी होती हैं। तालिका 1.2 चालू वर्ष के दौरान जैसा कि इसके वार्षिक वित्तीय लेखों में दर्ज है, राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है (परिशिष्ट 1.4) जबकि चार्ट 1.6 वर्ष 2013-18 के दौरान राज्य प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में रुझानों को प्रदर्शित करता है; चार्ट 1.5 में चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों की रचना नीचे दी गई है:

चार्ट 1.5: संसाधनों के घटक तथा उप घटक




\* (लोक लेखे प्राप्तियां निवल ((-₹164 करोड़) - लोक लेखे प्राप्तियां (₹30,698 करोड़), लोक लेखा संवितरण (₹30,862 करोड़)।

\*\*जीएसटी लगने के कारण, प्राप्त हुए ₹1,137 करोड़ के मुआवजे को शामिल नहीं किया गया है। (सहायता अनुदान में शामिल है)

# अर्थोपाय अग्रिम सहति।

चाट 1.6: राज्य के संसाधनों में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 से 2017-18 में, राजस्व प्राप्तियां तथा कुल प्राप्तियां, बढोत्तरी की प्रवृत्ति को दिखाती है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में ₹6,534 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 से 2015-16 में लोक लेखा निवल प्राप्तियों की भी बढी हुई प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। हालांकि, यह वर्ष 2015-16 में ₹4,312 करोड़ से घटकर वर्ष 2016-17 में ₹2,396 करोड़ हो गया तथा वर्ष 2017-18 के दौरान प्रेषण के तहत कम प्राप्ति के कारण ₹164 करोड़ की प्राप्तियों की तुलना में भुगतानों का अधिशेष था।

पूंजीगत प्राप्तियों में वर्ष 2016-17 में ₹20,768 करोड़ से वर्ष 2017-18 में ₹25,561 करोड़ तक की वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 में 75.51 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में 65.64 प्रतिशत तक कुल प्राप्तियों के प्रति राजस्व प्राप्तियों का अनुपात, गिरावट के रूझान को दिखाता था। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 15.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों में 23.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह अधिकतया लोक ऋण में बढत के कारण था।

चार्ट 1.7: वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य के संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)




पिछले वर्ष के संबंध में, वर्ष 2017-18 में राजस्व प्राप्तियों में ₹6,534 करोड़ की वृद्धि ₹41,978 करोड़ से ₹48,512 करोड़ तक (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, वर्ष 2017-18 के दौरान, पूंजीगत प्राप्तियों में ₹4,793 करोड़ की वृद्धि के कारण ₹20,768 करोड़ से ₹25,561 करोड़ (23 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा लोक लेखा निवल प्राप्तियों में वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान ₹2,560 करोड़ की कमी हुई। कुल राज्य संसाधनों (₹73,909 करोड़) में राजस्व प्राप्तियां 65.64 प्रतिशत है।

### 1.3 राजस्व प्राप्तियां

2013-18 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तथा रचना (परिशिष्ट 1.4 तथा 1.5) को परिशिष्ट 1.4 में भी नीचे दिखाया गया है:

चार्ट 1.8: वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की रचना


(प्रतिशत में)



स्रोत 1.9 संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.9: वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की रचना

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 78.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई। संघ सरकार से हस्तांतरित संघीय करों तथा शुल्कों और सहायता अनुदान में राज्य का हिस्सा, वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 66 प्रतिशत बनता था तथा 2017-18 में यह बढ़कर, 71 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान, अपने कर राजस्व का हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का 23 प्रतिशत बनता था, जो 2017-18 में कम होकर 20 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2013-14 में गैर कर राजस्व का हिस्सा 11 प्रतिशत बनता था, जो 2017-18 में घटकर नौ प्रतिशत रह गया।

राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान ₹6,534 करोड़ (15.56 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो मुख्यतया ₹2,423 करोड़ (25.53 प्रतिशत) की संघीय करों तथा शुल्कों राज्य के भाग में वृद्धि, भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹2,104 करोड़ (10.21 प्रतिशत) तथा राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹1,717 करोड़ (21.96 प्रतिशत) के कारण थी। जीएसडीपी से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में रुझानों को नीचे तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 1.5: जीएसडीपी से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में रुझान

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व प्राप्तियां (आरआर) (₹ करोड़ में)	27,128	28,939	35,781	41,978	48,512
आरआर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	3.47	6.68	23.64	17.31	15.56
राज्य के स्वयं के कर राजस्व (एसओटीआर) (₹ करोड़ में)	6,273	6,334	7,326	7,819	9,536
राज्य के स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (एसओटीआर) (प्रतिशत)	7.54	0.97	15.66	6.73	21.96

चालू वर्ष में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर 15.56 प्रतिशत थी, जो विशेष श्रेणी वाले राज्य की श्रेणी (एससीएस) में 10.40 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक थी (परिशिष्ट 1.1)। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि संघीय करो/शुल्कों तथा सहायता अनुदान में राज्य के भाग में वृद्धि तथा एसओटीआर में वृद्धि के कारण थी।

### 1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय करो तथा सहायता अनुदान में राज्य का हिस्सा सुनिश्चित किया जाता है, संसाधनों को प्रदान के संदर्भ में राज्य के निष्पादन का, जिसमें उसके स्वयं के कर तथा गैर कर स्रोत शामिल है, के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

वर्ष 2017-18 के लिए राज्य के वास्तविक स्वयं के कर तथा स्वयं के गैर-कर प्राप्तियों के, 14वें वित्त आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के साथ नीचे दिया गया है:

तालिका 1.6: 14वें वित्त आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के साथ वास्तविक कर तथा गैर-कर प्राप्तियां

विवरण	14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित	बजट अनुमान	वास्तविक	वास्तविक का प्रतिशतता अन्तर	
				14वें के वित्त आयोग द्वारा निर्धारित	बजट अनुमानों पर
स्वयं के कर राजस्व	11,765	9,931	9,536	(-19)	(-04)
स्वयं के गैर कर राजस्व	961	5,308	4,362	354	(-18)
कुल	12,726	15,239	13,898		

राज्य के अपने कर राजस्व के तहत वास्तविक संग्रहण 14वें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमानों से 19 प्रतिशत और बजट अनुमान के चार प्रतिशत तक कम रहे।

अपने गैर-कर राजस्व के तहत वास्तविक प्राप्तियां 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 354 प्रतिशत अधिक थी, परंतु बजट अनुमान से 18 प्रतिशत कम थी। इस प्रकार राज्य सरकार बजट अनुमान में स्वयं द्वारा निर्धारित अनुमानों को प्राप्त नहीं कर सकी। वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹13,898 करोड़ के राज्य के स्वयं के संसाधन (स्वयं का कर राजस्व तथा स्वयं का गैर कर राजस्व) इसके ₹27,500 करोड़ के प्रतिबद्ध देयताओं (वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन तथा आर्थिक सहायता) को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। (पैरा 1.6.3)

**1.3.1.1 कर राजस्व**

मुख्य करों तथा शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण तालिका 1.7 में दिए गए हैं जो वर्ष 2013-18 के दौरान, राज्य के अपने कर राजस्व के विभिन्न घटकों में रुझान को दर्शाते हैं।

**तालिका 1.7: राज्य के अपने संसाधनों के घटक**

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिक्री कर	4,579	4,602	5,277	6,012	4,493
जीएसटी	0	0	0	0	2611
राज्य आबकारी	440	466	533	569	833
स्टैम्प तथा पंजीकरण शुल्क	261	248	264	228	307
वाहनों पर कर	134	132	145	150	228
विद्युत पर कर तथा शुल्क	277	313	429	90	179
भू-राजस्व	16	15	12	17	29
अन्य	566	558	666	753	856
<b>कुल</b>	<b>6,273</b>	<b>6,334</b>	<b>7,326</b>	<b>7,819</b>	<b>9,536</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए वित्त लेखे)

वाहनों पर एकत्रित कर में, वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ₹134 करोड़ से ₹228 करोड़ तक 70.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वाहनों पर एकत्रित करों में मोटर वाहन विभाग द्वारा एकत्रित विभिन्न फीस में, दरों में संशोधन के कारण (दिसंबर 2016), वर्ष 2016-17 में ₹150 करोड़ से ₹228 करोड़ तक वृद्धि हुई।

राज्य उत्पाद-शुल्क के संग्रहण में उपरोक्त अवधि में ₹440 करोड़ से ₹833 करोड़ तक 89.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिनांक 01-09-2017 से शराब की बिक्री पर 31.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त निर्धारण फीस लगाने के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में उत्पाद शुल्क में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

स्टैम्प की बिक्री में वृद्धि के कारण ₹261 करोड़ से ₹307 करोड़ तक स्टैम्प तथा पंजीकरण फीस के संग्रहण में वृद्धि हुई और विद्युत पर करों और शुल्कों के सम्बन्ध में अवधि के दौरान ₹277 करोड़ से ₹179 करोड़ तक ₹98 करोड़ की कमी हुई है जो 2015-16 में विद्युत शुल्क की दरों में 22 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की कमी आने के कारण है। इसी प्रकार, वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के दौरान, बिक्री कर तथा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ₹2,525 करोड़ बढ़कर, ₹4,579 करोड़ से ₹7,104 करोड़ हो गया। (बिक्री कर तथा अन्य करों के स्थान पर, राज्य में जीएसटी दिनांक 08 जुलाई 2017 से लागू हुआ है)।


वर्ष 2013-18 के दौरान, राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹3,263 करोड़ (52 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। दिनांक 8 जुलाई 2017 से जीएसटी के लागू होने के बाद, 2017-18 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर करों के अतिरिक्त, सभी मुख्य करों तथा शुल्कों में बढ़ता रूझान दर्ज किया गया।

राज्य का स्वयं के कर राजस्व वर्ष 2016-17 के दौरान ₹7,819 करोड़ से ₹1,717 करोड़ तक वृद्धि के परिणामस्वरूप, वर्ष 2017-18 में ₹9,536 करोड़ हो गया।

2013-14 से 2017-18 तक पड़ोसी राज्यों के साथ जीएसटीपी के लिए स्वयं के कर राजस्व की तुलना नीचे दी गई है:

**चार्ट 1.10: जी.एस.डी.पी. के स्वयं के कर राजस्व की पड़ोसी राज्यों के साथ तुलना**

(प्रतिशत में)



जीएसडीपी के प्रति स्वयं का कर राजस्व अनुपात में, वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान पंजाब से कम था, लेकिन वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान हिमाचल प्रदेश से उच्च था। वर्ष 2017-18 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर का जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत) के प्रति स्वयं के कर राजस्व की स्थिति पड़ोसी राज्यों, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब से उच्च थी।

### माल एवं सेवा कर

राज्य सरकार द्वारा, लागू माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अधिनियम दिनांक 08 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। जी.एस.टी. (राज्य को मुआवजा) अधिनियम-2017 के अनुसार, केंद्र सरकार, राज्यों को जी.एस.टी. लागू होने के कारण राजस्व के होने वाले नुकसान हेतु पांच वर्षों के अवधि के लिए मुआवजा देगी। राज्य को देय, मुआवजे हेतु, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा अंतिम राजस्व के आंकड़ों के प्राप्त होने के बाद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आंकड़ों की गणना की



जाएगी। जी.एस.टी. अधिनियम के तहत, आधार वर्ष (2015-16) राजस्व आंकड़ों को अंतिम रूप दिया गया। जम्मू एवं कश्मीर के मामले में आधार वर्ष (2015-16) के दौरान ₹4,766.30 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। किसी भी वर्ष में, किसी राज्य के लिए अनुमानित राजस्व की वृद्धि दर की गणना (14 प्रतिशत वार्षिक) उस राज्य के आधार वर्ष के अनुसार की जाएगी।

आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए, अनुमानित राजस्व ₹6,194.28 करोड़ था। तथा जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिए, जी.एस.टी. के तहत अनुमानित राजस्व का आंकड़ा ₹4,645.71 करोड़ था। वर्ष 2017-18 के लिए, अनुमानित ₹4,645.71 करोड़<sup>1</sup> के राजस्व के प्रति वर्ष 2017-18 अर्थात् जुलाई 2017 से मार्च 2018 के दौरान, जी.एस.टी. के तहत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां, जी.एस.टी. में जमा किए गए एकत्रित करों सहित, जैसा कि तालिका 1.8 में दिया गया है, ₹5,250.60 करोड़ थी। जी.एस.टी. के लागू होने के कारण ₹532.11 करोड़ के वास्तविक घाटे के प्रति राज्य सरकार ने ₹1,137 करोड़ का मुआवजा प्राप्त किया। इसके परिणामस्वरूप ₹604.89 करोड़ की सीमा तक अतिरिक्त मुआवजा दिया गया। जैसा कि नीचे दिया गया है:

**तालिका 1.8: जी.एस.टी. से पूर्व और एस.जी.एस.टी. द्वारा एकत्रित, आई.जी.एस.टी. का प्रोविजनल एपोरशनमेंट तथा संरक्षित राजस्व के प्रति भारत सरकार से प्राप्त मुआवजा**

(₹ करोड़ में)

माह	अनुमानित किया जाने वाला मासिक राजस्व	जी.एस.टी. से पूर्व एकत्रित	एकत्रित एस.जी.एस.टी. *	आई.जी.एस.टी. का प्रोविजनल एपोरशनमेंट	कुल प्राप्त राशि	प्राप्त मुआवजा	कुल	आधिशेष / घाटा
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7=(5+6)	8=1-(5+6)
जुलाई-17	516.19	941.06	0	0	941.06	0	941.06	-424.87
अगस्त-17	516.19	165.27	102.60	0	267.87	0	267.87	248.32
सितंबर-17	516.19	58.63	136.74	225.98	421.35	0	421.35	94.84
अक्टूबर-17	516.19	71.96	113.43	195.82	381.21	367	748.21	-232.02
नवंबर-17	516.19	21.87	120.24	209.26	351.37	314	665.37	-149.18
दिसंबर-17	516.19	14.74	141.21	186.71	342.66	0	342.66	173.53

<sup>1</sup> ₹4,766.30 x (1+14/100)<sup>2</sup>=₹6,194.28 करोड़ 2017-18 के लिए तथा नौ माह के लिए = ₹6,194.28 करोड़ x 3/4=₹4,645.71 करोड़।

जनवरी-18	516.19	21.73	146.89	224.53	393.15	127	520.15	-3.96
फरवरी-18	516.19	6.83	125.18	389.39	521.40	0	521.4	-5.21
मार्च-18	516.19	200.25	114.46	178.82	493.53	329	822.53	-306.34
<b>कुल</b>	<b>4,645.71</b>	<b>1,502.34</b>	<b>1,000.75</b>	<b>1,610.51</b>	<b>4,113.60</b>	<b>1,137</b>	<b>5,250.60</b>	<b>-604.89</b>

\* बिक्री कर विभाग, जे एंड के

### आई.जी.एस.टी से अग्रिम एपोरशनमेंट


जुलाई 2017 से मार्च 2018 के अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने ₹2,611.26 करोड़ की राशि जी.एस.टी. के रूप में एकत्रित की, जिसमें एकीकृत माल एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) के अग्रिम एपोरशनमेंट के कारण ₹209 करोड़ की प्राप्त राशि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त ₹1,137 करोड़ की राशि, भी भारत सरकार से मुआवजे के रूप में प्राप्त हुई है।

### 1.3.1.2 गैर-कर राजस्व

पाँच वर्षों के दौरान 2013-14 से 2017-18 गैर कर राजस्व की वृद्धि चार्ट 1.11 में दी गई है तथा तालिका 1.9 वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों में रुझानों को प्रदर्शित करती है।

चार्ट 1.11: गैर-कर राजस्व

(₹ करोड़ में)



स्रोत :- संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 1.9: वर्ष 2013-18 के दौरान गैर-कर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ब्याज प्राप्तियां	13(-19)	14(8)	96(585)	19(-80)	19(0)
लाभांश एवं लाभ	129(48)	129(0)	54(-58)	45(-17)	0(-100)
अन्य गैर कर प्राप्तियां	2,728(33)	1,835(-33)	3,763(105)	4,008(7)	4,343(8)
वानिकी और वन्य जीव	68	71	68	14	18
विद्युत	1,533	1,428	1,477	2,770	3,151
विविध	203	166	204	221	266
अन्य	924	170	2,014	1,003	908
<b>कुल</b>	<b>2,870</b>	<b>1,978</b>	<b>3,913</b>	<b>4,072</b>	<b>4,362</b>

\*लोक निर्माण, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति तथा सवच्छता, पुलिस, गैर- लोह खनन तथा धातु उद्योग, फसल पैदावार, पशु पालन, विविध विभाग हैं।

\*\*'अन्य' पेंशन तथा विविध, सामान्य सेवाएँ, श्रमिक तथा रोजगार, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, स्टेशनरी तथा प्रिंटिंग, लघु सिंचाई, ओ.एस.ए.पी. मत्स्य पालन, शिक्षा आदि गांव तथा लघु उद्योग, आवासीय, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, मध्यम सिंचाई, पर्यटन तथा अन्य "अन्य" में शामिल हैं।

(पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत की वृद्धि को कोष्ठक में दिया गया है।)

स्रोत :- संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

वर्ष 2013-18 के दौरान, गैर-कर राजस्व के तहत वास्तविक प्राप्तियों में ₹1,492 करोड़ (51.98 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। "अन्य" श्रेणी के तहत प्राप्त वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक ₹2,014 करोड़ से ₹908 करोड़ तक अबियाना (सिंचाई कर) का उन्मूलन होने के कारण, कम हो गई। वर्ष 2017-18 के दौरान, गैर-कर राजस्व (₹4,362 करोड़) का राजस्व प्राप्तियों में, (₹48,512 करोड़) की 8.99 प्रतिशत बनता था जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹290 करोड़ (7.12 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करता है। मुख्यतया विद्युत के तहत प्राप्तियों में वृद्धि होने के कारण है।

विद्युत बिक्री से प्राप्तियां गैर-कर राजस्व का एक मुख्य घटक होने के कारण, वर्ष 2013-14 के दौरान कुल गैर-कर राजस्व का 53.41 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में 72.24 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष 2017-18 के दौरान 13.75 प्रतिशत बढ़ गया।

"अन्य" श्रेणी के तहत प्राप्तियों में 'जल उपयोग प्रभार' शामिल किया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर जल संसाधन (विनियमन एवं प्रबंधन) अधिनियम, 2010, यथा संशोधित 25 अक्टूबर 2012 और 27 अक्टूबर 2014, के प्रावधान के तहत हाइड्रोपावर जनरेटिंग कम्पनियों पर जल के प्रति क्यूसेक पर 25 पैसे की दर से जल उपयोग प्रभार लगाया जा रहा है। अधिनियम के तहत, उद्ग्रहण से प्राप्त आय को, सचिव, वित्त विभाग द्वारा रखरखाव किए जाने वाले एक अलग से बचत बैंक खाते में क्रेडिट किया जाना होता है और हाइड्रोइलेक्ट्रिक तथा बहु-उद्देश्यीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं को स्थापित करने तथा राज्य में पहले से स्थापित हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर परियोजनाओं की पुनः खरीद के लिए तथा विद्युत क्रय हेतु उसको प्रयोग में लाया जाए। वर्ष 2017-18

के दौरान, राज्य सरकार ने जल उपयोग प्रभार पर ₹755.90 करोड़ की राशि एकत्रित की जिसको विद्युत के क्रय के लिए समायोजित किया गया तथा मार्च 2018 के अंत में बैंक खाते में शेष ₹4.34 करोड़ की राशि थी जिसे राज्य की समेकित निधि से बाहर रखा गया।

**उपभोक्ताओं से विद्युत की न वसूल की गई लागत का भार तथा विद्युत की खरीद पर कम भुगतान के कारण देनदारियों का सृजन।**

राज्य में, उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का कार्य विभाग द्वारा संचालित किया जाता है क्योंकि डी-बंडलिंग तथा विद्युत सुधारों को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है (मार्च 2018)। इसलिए, विद्युत की अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति पर प्राप्ति एवं व्यय राज्य सरकार के लेखों का भाग बनते हैं। विद्युत विकास विभाग के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच लगातार बढ़ते अंतर के कारण सरकार के बजट में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक असंतुलन और संसाधनों की निकासी होती है। जिसे अन्यथा विकासात्मक परिव्यय के लिए परिनियोजित किया जा सकता था। विद्युत की खरीद के प्रति प्रदत्त राशि तथा विद्युत उपभोक्ताओं से प्राप्तियों के बीच रुझानों को नीचे दिया गया है:

**तालिका 1.10: विद्युत विकास विभाग के कार्य निष्पादन में कमी**

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	विद्युत खरीदी की लागत #	लक्षित राजस्व	वास्तविक प्राप्त राजस्व	विद्युत खरीदी पर भुगतान की गई राशि
2013-14	4,448	2,841	1,533	3,738
2014-15	5,207	2,630	1,428	4,404
2015-16	5,294	2,980	1,477	6,127
2016-17	5,619	4,741	2,770	6,132
2017-18	5,709	4,841	3,151	3,036

स्त्रोत: संबंधित वर्ष के बजट तथा वित्त लेखे # विभागीय आंकड़े।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान टैरिफ एकत्रित करने के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान, विद्युत की बिक्री के कारण ₹4,841 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के प्रति ₹3,151 करोड़ की प्राप्ति हुई। विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व, सभी वर्षों में खरीद की लागत से कम था। राज्य द्वारा, इसके राजस्व एकत्रित करने के लक्ष्यों को खरीद की लागत से कम रखा गया। संबंधित वर्ष के दौरान विद्युत की खरीद की लागत के प्रति राजस्व की कम उगाही राज्य सरकार पर भार के रूप में थी। विद्युत की खरीद तथा विद्युत की बिक्री से प्राप्त वास्तविक राजस्व उगाही के बीच अंतर का कारण परिचालन अक्षमताएँ तथा विद्युत सुधारों को धीमी गति से लागू करना था। राज्य की एटी एंड सी संबंधी हानियाँ (50 प्रतिशत) बहुत अधिक हैं जो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में जहाँ एटी एंड सी संबंधी हानियाँ मात्र आठ प्रतिशत हैं, उसकी तुलना में बहुत अधिक थी।

विभाग ने वर्ष 2017-18 के दौरान ₹5,709 करोड़ मूल्य की विद्युत खरीदी जिसके प्रति विद्युत उत्पादन कर्ता को इसमें केवल ₹3,036 करोड़ का भुगतान किया। इस प्रकार विद्युत खरीदारी पर देनदारियां सृजित हुईं। मार्च 2018 को विद्युत खरीद के बिलों का भुगतान न करने के कारण, विभाग पर ₹7,018 करोड़ की देनदारी सृजित हुई।

राज्य सरकार ₹7,595 करोड़ का राजस्व अधिशेष दिखा रही है लेकिन बकाया विद्युत बिलों ₹7,018 करोड़ के कारण आस्थगित देनदारियों को ध्यान में रखने के बाद राजस्व अधिशेष उस सीमा तक कम हो जाएगा।

### उदय के निहितार्थ

विद्युत वितरण कम्पनियों (डीआईएससीओएम), ने वित्तीय बदलाव के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने राज्य डीआईएससीओएम की वित्तीय क्षमताओं तथा परिचालन को बेहतर बनाने के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एशयोरेंस योजना (उदय) की शुरुआत की (नवंबर 2015)। राज्यों को डीआईएससीओएम, ऋण का 75 प्रतिशत सितंबर 2015 को दो वर्षों में मिलना था अर्थात् डीआईएससीओएम, ऋण का 50 प्रतिशत 2015-16 में और 25 प्रतिशत 2016-17 में दिया जाएगा।

मार्च 2016 में, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, तथा जम्मू एवं कश्मीर सरकार के बीच योजना उदय “उज्ज्वल डिस्कॉम एशयोरेंस योजना” के तहत एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, तथा आरबीआई द्वारा गैर वैधानिक मौद्रिक अनुपात (एसएलआर) बांड 7.07 प्रतिशत से 8.72 प्रतिशत की रेंज की दरों पर, मार्च 2022 से अक्टूबर 2031 की पूर्णता तिथि के साथ जारी बांड से ₹3,537.55 करोड़ (₹2,140 करोड़ 2015-16 में तथा ₹1,397.55 करोड़ 2016-17 में) की सीमा तक निधियां उधार लीं। राज्य में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है, इसलिए इस धन राशि का राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की देनदारियों का निपटान करने के लिए उपयोग किया गया था। राज्य सरकार को बांड पर ब्याज का भुगतान करना होता है तथा ₹353.75 करोड़ की राशि वाले बांड की भी वर्ष 2021-22 से 2031-32 तक प्रत्येक वर्ष में पूर्णता तिथि होगी। वर्ष 2017-18 के दौरान उदय योजना के तहत जारी किए गए बाँड्स पर ब्याज के प्रति राज्य सरकार ने ₹284.12 करोड़ का भुगतान किया।

### 1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्यों को सहायता अनुदान देने के लिए भारत सरकार ने मुख्य शीर्ष 1601 सहायता अनुदान के तहत, एक उप मुख्य शीर्ष खोला तथा योजनागत और गैर योजनागत के वर्गीकरण को बंद कर दिया।

तालिका 1.11: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
गैर-योजना अनुदान	4,009	3,343	11,135	12,776	--
केन्द्रीय सहायता प्राप्त राज्य योजना स्कीमों/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	9,008	12,720	4,365	7,766	9,096
केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	826	87	1,228	56	--
वित्त आयोग अनुदान	--	--	--	--	11,849
राज्यों को अन्य स्थानांतरण/ अनुदान	--	--	--	--	620
जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए मुआवजा	--	--	--	--	1,137
<b>कुल</b>	<b>13,843</b>	<b>16,150</b>	<b>16,728</b>	<b>20,598</b>	<b>22,702</b>
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	51	56	47	49	47

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान पूर्ण रूप से संघीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में ₹13,843 करोड़ से ₹22,702 करोड़ की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सहायक अनुदान वर्ष 2013-14 से 2014-15 के दौरान 51 प्रतिशत से 56 प्रतिशत बढ़ गया तथा 2016-17 के मुकाबले 2017-18 में 49 प्रतिशत से 47 प्रतिशत तक कम हो गया। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के सहायता अनुदान में ₹2,104 करोड़ की वृद्धि के कारण, ₹20,598 करोड़ से ₹22,702 करोड़ तक हो गए। रुझान इंगित करते हैं कि राज्य सरकार वर्ष 2017-18 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की 47 प्रतिशत की सीमा तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान पर निर्भर है।

### 1.3.3 राज्य के बजट के बाहर, राज्य की क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियां

वर्ष 2017-18 के दौरान, भारत सरकार से अनुदानों के रूप में ₹22,702 करोड़ की राशि का राज्य बजट के माध्यम भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹1,105 करोड़ की कुल राशि वाली 55 से अधिक योजनाएं थीं। जिन्हें वर्ष 2017-18 के दौरान, संघीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष निधियन मोड़ के तहत जम्मू एवं कश्मीर की क्रियान्वयन एजेंसियों (संस्थाओं, निगमों, समितियों आदि) के लिए जारी रखा गया। पिछले वर्ष की तुलना में, संघ सरकार से क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियों के प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरण के कारण ₹477 करोड़ अर्थात् 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई (परिशिष्ट 1.8)। यह निधियां, राज्य सरकार को बजटीय तथा लेखांकन प्रणाली से बाहर हैं। वर्ष के दौरान जहां वित्त पोषण एक सौ करोड़ से अधिक है, की स्कीमों को नीचे दिया गया है:

तालिका 1.12: राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित मुख्य निधियां (अलेखापरीक्षित)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/स्कीम का नाम	राज्य की क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	निम्न के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्गत कुल निधियां
		2017-18
चेनाब घाटी विद्युत के लिए जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी अनुदान के अंतर्गत पाकुल दुल एचईपी (हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना) के लिए केन्द्रीय सहायता	चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	200.00
विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास (स्वदेश दर्शन)	जम्मू और कश्मीर पर्यटन विकास निगम/जम्मू और कश्मीर राज्य केबल कार निगम।	115.50
<b>कुल</b>		<b>315.50</b>

स्रोत संबंधित वर्ष के वित्त लेखा

### 1.3.4 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

केन्द्रीय करों तथा शुल्कों के राज्य के हिस्से के घटक तालिका 1.13 में दिया गया है तालिका 1.13 संघीय करों तथा शुल्कों से राज्य के हिस्सों के घटक।

तालिका 1.13: केंद्रीय करों और कर्तव्यों में राज्य हिस्सेदारी के घटक

(₹ करोड़ में)

संघीय करों में राज्य की हिस्सेदारी का घटक	13 <sup>वें</sup> एफसी एवं 14 <sup>वें</sup> एफसी का अवार्ड पीरियड				
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
निगम कर	1,664.16	1,833.83	2,976.52	3,623.44	3,824.16
सीमा शुल्क	807.36	849.30	1,507.13	1,558.67	1,260.30
आय कर	1,095.80	1,309.53	2,075.73	2,518.30	3,229.22
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0	0	5.78	0.03	0.00
धन कर	4.57	4.95	0.60	8.29	-0.11
आय और व्यय पर अन्य कर	0	0.04	0.06	0	0
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	570.21	479.58	1,247.66	1,779.87	2,020.60
सीजीएसटी	एनए	एनए	एनए	एनए	316.80
आईजीएसटी	एनए	एनए	एनए	एनए	1,260.68
<b>कुल योग</b>	<b>4,142.1</b>	<b>4,477.23</b>	<b>7,813.48</b>	<b>9,488.6</b>	<b>11,911.65</b>
राज्य की राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में अंतरण	15.27	15.47	21.84	22.60	24.55
एनए: 8 जुलाई 2017 से जीएसटी अधिनियम के कार्यान्वयन होने के कारण लागू नहीं					

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

14<sup>वें</sup> वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय करों के राज्य का हिस्सा 32 से 42 प्रतिशत बढ़ाया जाए। तदनुसार केन्द्रीय कर (सेवा कर शामिल नहीं) की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 1.854 प्रतिशत निर्धारित था। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त ₹11,912 करोड़ के संघीय करों का हिस्सा, वर्ष 2016-17 की तुलना में ₹2,423 करोड़ अधिक था। 13<sup>वें</sup> वित्त आयोग तथा 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग के दौरान केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से की राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में अंतरण 15.27 प्रतिशत से बढ़कर 24.55 प्रतिशत हो गया।

### 1.3.5 उपकर लगाकर सृजित निधियां

उपकर अधिनियम 1996 की धारा 3 में निर्माण कार्यों की लागत पर उपकर के आवश्यक उद्ग्रहण तथा संग्रहण का प्रावधान है। तथा यह प्रावधान है कि नियोक्ता द्वारा निर्माण की लागत के एक प्रतिशत पर उपकर लगाया जाएगा, जिसमें कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत, कामगार या उसके परिजन को प्रदत्त अथवा देय किसी क्षतिपूर्ति अथवा भूमि की लागत को शामिल नहीं किया जाएगा। मार्च 2017 को ₹374.24 करोड़ का शेष था तथा वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड ने श्रमिक उप कर, मासिक अंशदान, ब्याज आदि के रूप में ₹129.34 करोड़ प्राप्त किए। इसमें से, दिनांक 31 मार्च 2018 को बोर्ड ने ₹434.02 करोड़ का अंतशेष छोड़ते हुए, श्रमिक कल्याण



योजनाओं (₹67.36 करोड़) और प्रशासनिक व्यय (₹2.20 करोड़) पर ₹69.56 करोड़ व्यय किए। श्रम उपकर के मद में कटौती की गई राशि को सचिव, जम्मू एवं कश्मीर बिल्डिंग तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के नाम से आधिकारिक बैंक खाते में रखी जा रही है तथा सरकारी लेखा से बाहर रखी गई है।

### 1.3.6 केन्द्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों पर राज्यों को सहायता अनुदान

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों, ग्रामीण स्थानीय निकायों तथा स्टेट डिजास्टर रिसर्पोस फंड (एसडीआरएफ) के लिए ₹6,178.37 करोड़ का अनुमान लगाया गया (2015-20)। इसके प्रति, ₹753.26 करोड़, ₹1,078.44 करोड़ तथा ₹1,214.56 करोड़ वर्ष 2015-18 के दौरान निर्मुक्त किए/आवंटित किए जाने थे।

#### तालिका 1.14: रिलीज की तुलना में वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अनुमान

(₹ करोड़ में)

घटक	2015-16	2016-17	2017-18	कुल अनुमान	2015-16	2016-17	2017-18	कुल रिलीज़	शेष
शहरी स्थानीय निकाय	125.30	224.71	258.41	608.42	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	608.42
ग्रामीण स्थानीय निकाय	373.96	585.73	675.15	1634.84	367.72	शून्य	शून्य	367.72	1,267.12
एसडीआरएफ (राज्य शेयर सहित)	254.00	268.00	281.00	803.00	254.00	254.70	13.50	522.20	280.80
<b>कुल</b>	<b>753.26</b>	<b>1,078.44</b>	<b>1,214.56</b>	<b>3,046.26</b>	<b>621.72</b>	<b>254.70</b>	<b>13.50</b>	<b>889.92</b>	<b>2,156.34</b>

स्रोत: चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट

हालांकि, वर्ष 2015-18 के दौरान, वित्त आयोग, भारत सरकार से ₹889.92 करोड़ की राशि (राज्य के हिस्से सहित) राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई तथा 2017-18 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई भी राशि नहीं दी गई। उक्त अवधि के दौरान, एसडीआरएफ के लिए निर्धारित ₹80 करोड़ के प्रति ₹52 करोड़ की राशि राज्य के हिस्से के रूप में जारी की गई। वर्ष 2016-17 के लिए राज्य के हिस्से के रूप में ₹13.50 करोड़ की दूसरी किश्त राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान, जारी की गयी (परिशिष्ट 1.9)। ₹2,128.34 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया, जिसमें से ₹1,875.54 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (आएलबी) से संबंधित है।

यूएलबी तथा आरएलबी को दिए जाने वाले अनुदानों को भारत सरकार द्वारा उन निकायों के चुनाव न किए जाने के कारण रोक लिया गया।

#### 1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, ऋण से प्राप्त अर्थात्- आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होती हैं। पांच वर्षों (2013-18) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां नीचे दी गई हैं:

तालिका 1.15: प्राप्तियों की रचना तथा वृद्धि में रुझानों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूंजीगत प्राप्तियां (सीआर)	6,006	10,262	14,649	20,768	25,561
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-
ऋण और अग्रिमों की वसूली	4	3	4	19	4
<b>लोक ऋण प्राप्तियां</b>	<b>6,002</b>	<b>10,259</b>	<b>14,645</b>	<b>20,749</b>	<b>25,557</b>
बाजार ऋण	2,080	1,400	2,250	2,790	6,200
बांड	202	202	2,342	1,440	41
वित्तीय संस्थानों से ऋण	855	1,197	1,045	646	668
ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिम	2,850	7,448	8,991	15,848	18,617
भारत सरकार से ऋण	15	12	17	25	31
<b>लोक ऋण प्राप्ति के प्रति बाजार ऋण की प्रतिशतता</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>24</b>
<b>पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि विकास दर (प्रतिशत)</b>					
लोक ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से	(-15)	71	43	42	23
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से	300	(-25)	33	375	-79
चालू कीमतों पर जीएसडीपी से	9.73	2.88	19.13	8.24	11.07
पूंजीगत प्राप्तियों से	(-15)	71	43	42	23

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों में ₹6,006 करोड़ से ₹25,561 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण बाजार ऋणों में (₹2,080 करोड़ से ₹6,200 करोड़, वर्ष 2013-14 से 2017-18 में) तथा ओवर ड्राफ्ट सहित (वर्ष 2013-14 से 2017-18 के ₹2,850 करोड़ से ₹18,617 करोड़ की वृद्धि) अर्थोपाय अग्रिम में वृद्धि होना था। 2017-18 में पूंजीगत प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में ₹4,793 करोड़ से बढ़ी।

लोक ऋण प्राप्तियों में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ₹6,002 करोड़ से वृद्धि होकर ₹25,557 करोड़ हो गयी तथा पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष 2017-18 में ₹4,808 करोड़ बढ़ गई।

लोक ऋण प्राप्तियों में वर्ष 2016-17 में बाजार ऋणों का हिस्सों में 13 प्रतिशत से 2017-18 में 24 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

#### 1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान संवितरण तथा वसूल किए गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 1.16: वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान, संवितरित तथा वसूली किए गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

संवितरित ऋणों की मात्रा तथा वसूली	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आदि शेष	1,292.55	1,409.83	1,493.94	1,583.64	1,640.52
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	121.41	86.80	93.79	76.24	24.75
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	4.13	2.69	4.09	19.36	4.41
<b>अंत शेष</b>	<b>1,409.83</b>	<b>1,493.94</b>	<b>1,583.64</b>	<b>1,640.52</b>	<b>1,660.86</b>
<b>कुल जमा</b>	<b>117.28</b>	<b>84.11</b>	<b>89.70</b>	<b>56.88</b>	<b>20.34</b>

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, कुल बकाया ऋणों में ₹1,409.83 करोड़ से ₹1,660.86 करोड़ की वृद्धि दर्ज की, सात सत्त्वों के प्रति ₹1,660.86 करोड़ की राशि में से ₹843.44 करोड़ बकाया थी (मार्च 2018)। ₹843.44 करोड़<sup>2</sup> की जमा राशि के प्रति, वर्ष 2017-18 में केवल ₹2.50 करोड़ ही, वसूल किए गए। ऋणों की वसूली की स्थिति खराब होने के कारण वर्ष 2013-14 में ₹1,409.83 करोड़ से 2017-18 में ₹1,660.86 करोड़ तक बकाया शेष में लगातार वृद्धि हुई।

जम्मू एवं कश्मीर इंडस्ट्रीज को दिए हुए ऋणों एवं अग्रिमों की लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि मार्च 2017 तक जे एंड के इंडस्ट्रीज लि. के प्रति ₹373.19 करोड़ के ऋण बकाया थे। वसूली की खराब प्रक्रिया के बावजूद, राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान ₹13.29 करोड़ के नए ऋण जारी किए तथा केवल ₹2.50 करोड़ की वसूली की। मार्च 2018 तक, ₹383.98 करोड़ राशि के ऋण जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज लि. के प्रति बकाया थे, जिसकी वर्ष 2008-09 की समाप्ति पर ₹529.39 करोड़ की कुल

<sup>2</sup> (1) नगरपालिकाएं ₹5.17 करोड़ (शून्य वसूली), (2) विकास प्राधिकरण, श्रीनगर- ₹1.91 करोड़ (शून्य वसूली), (3) सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम (जम्मू-कश्मीर, एचपीएमसी लि.- ₹12.66 करोड़ (शून्य वसूली), (4) विद्युत बोर्ड, जेकेपीडीसी - ₹85.04 करोड़ (शून्य वसूली), (5) कृषि उद्योग - ₹7.94 करोड़ (शून्य वसूली), (6) जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड - ₹383.98 करोड़ (₹2.50 करोड़), (7) जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड - ₹3,46.72 करोड़ (शून्य वसूली)

संचित हानि थी। इस प्रकार, ऋणों की वसूली को सुनिश्चित किए बिना ही राज्य सरकार द्वारा ऋणों की स्वीकृति दी गई थी।

#### 1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति

आंतरिक ऋण के रूप में ₹25,526 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी, जिसमें वर्ष 2017-18 के दौरान ₹6,200 करोड़ का बाजार ऋण तथा वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों से प्राप्त ₹668 करोड़ राशि शामिल थी जो पिछले वर्ष के ₹20,724 करोड़ की आंतरिक ऋण प्राप्तियों से ₹4,802 करोड़ (23 प्रतिशत) अधिक थी। बाजार उधारी की प्रवृत्तियाँ पैरा 1.10 में विस्तृत रूप से दी गई।

#### 1.4.3 भारत सरकार से ऋण और अग्रिम

भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम में 2016-17 में ₹24.70 करोड़ की राशि से वर्ष 2017-18 में ₹31.60 करोड़ तक ₹6.90 करोड़ की वृद्धि हुई तथा और उस वर्ष के दौरान ₹116 करोड़ की राशि का पुनः भुगतान किया गया।

#### 1.5 लोक लेखों की प्राप्तियाँ

राज्य के लोक लेखों में जमा की गई राशियों के संबंध में सरकार एक संरक्षक या बैंक के रूप में कार्य करती है और प्रत्ययी देयताओं को वहन करती है। लोक लेखों के प्रमुख घटक राज्य भविष्य निधि, बीमा/पेंशन बीमा निधि, आरक्षित निधि, जमा और अग्रिम हैं। इसके अलावा, सरकारी खातों के सार्वजनिक लेखा अनुभाग का उपयोग ट्रांज़िटररी को रिकॉर्ड करने और उन्हें उपयुक्त प्राप्ति अथवा लेखे के भुगतान शीर्ष में नकद शेष सव्यंवाहार के रूप में उनके अंतिम लेखांकन से पूर्व उचन्त और विविध और प्रेषण शीर्षों के तहत सव्यंवाहारों के माध्यम से पारित किया जाता है। निम्न तालिका 1.17 लोक लेखों के विभिन्न भागों के तहत प्राप्तियों और संवितरणों में प्रवृत्तियों को दर्शाती हैं।

तालिका 1.17: लोक लेखे की रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

लोक लेखे के घटक	लोक लेखे की प्राप्तियाँ		लोक लेखे से संवितरण		संवितरण से ऊपर प्राप्तियों की अधिकता	
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
लघु बचते (राज्य भविष्य निधि पेंशन/ बीमा निधि)	4,626	5,032	2,780	3,476	1,846	1,556
आरक्षित निधियां	452	419	111	129	341	290
जमा	3,794	4,894	2,845	3,810	949	1,084
अग्रिम	29	0	29	0	0	0
प्रेषण	9,320	934	10,010	3,889	(-)690*	(-)2,955*
शेष निवेश लेखे में प्राप्तियां	14,165	15,576	14,122	15,576	43	0

विभागीय नकद शेष लेखे में प्राप्तियाँ	07	0	06	0	01	0
अन्य उचन्त और विविध	3,590	3,842	3,683	3,981	(-93)	(-139)
<b>कुल</b>	<b>35,983</b>	<b>30,697</b>	<b>33,586</b>	<b>30,861</b>	<b>2,397</b>	<b>(-164)</b>

स्रोत संबंधित वर्ष के वित्तीय लेखे

\*छूट के तहत, पिछले वर्ष के लेखे में समायोजन/ गैर-समायोजन के कारण प्राप्तिओं की अधिकता से ज्यादा संवितरण किया गया था।

लोक लेखों की प्राप्तियाँ 2016-17 में ₹35,983 करोड़ से घटकर ₹30,697 करोड़ हो गई, पिछले वर्ष की तुलना में प्रेषणों के तहत कम प्राप्तिओं/ संवितरण की कमी के कारण वर्ष 2016-17 में ₹33,586 करोड़ से वर्ष 2017-18 में ₹30,861 करोड़ राशि के संवितरणों में भी कमी हुई। 2016-17 में संवितरण पर प्राप्तिओं की अधिकता ₹2,397 करोड़ थी और यह 2017-18 के दौरान मुख्य रूप से प्राप्तिओं पर प्रेषण की संवितरण के कारण 2017-18 में ₹164 करोड़ ऋणात्मक तक कम हुआ।

## 1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग


राज्य अपने शासकीय कार्यों का निष्पादन करने, और आर्थिक सेवाओं के वितरण के स्तर को अनुरक्षित रखने, पूंजी व्यय, और निवेश द्वारा इन सेवाओं के प्रसार में विस्तार करने और ऋण सेवा दायित्वों का निर्वहन करने के लिए संसाधनों को जुटाता है। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से तो प्रभावित नहीं करती है। अवसरचना के अनुरक्षण, नई अवसरचना का सृजन तथा विकास और सामाजिक न्याय की अन्य जरूरतों के लिए निर्देशित सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता के प्रतिकूल रूप से प्रभावित तो नहीं है।

### 1.6.1 व्यय की संयोजन और बढ़ोतरी

चार्ट 1.12 वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.12: कुल व्यय प्रवृत्तियाँ और संयोजन


(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्तीय लेखे


उक्त चार्ट 1.12 से, यह देखा जा सकता है कि कुल व्यय में 2013-14 में ₹31,686 करोड़ से 2017-18 में ₹51,294 करोड़ तक ₹19,608 करोड़ (62 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। उसी समय में पूंजी व्यय (ऋणों और अग्रिमों सहित) में ₹4,628 करोड़ से ₹10,378 करोड़ तक ₹5,750 करोड़ (124 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय में 2013-14 में ₹27,058 करोड़ 2017-18 में ₹40,916 करोड़ तक ₹13,858 करोड़ (51 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। कुल व्यय में राजस्व का प्रमुख भाग था क्योंकि 2013-14 से 2017-18 तक राजस्व व्यय पर 85 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक व्यय किया गया था।

चार्ट 1.13: कुल व्यय: इसके घटकों के हिस्से में प्रवृत्ति (प्रतिशत में)



हालांकि, 2017-18 के दौरान, राजस्व व्यय का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में कम था। वर्ष 2013-14 से 2017-18 में पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को छोड़कर) में ₹5,846 करोड़ की वृद्धि हुई। इसका कुल व्यय में हिस्सा 2013-14 में 14.22 प्रतिशत से 2017-18 में 20.18 प्रतिशत तक बढ़ा। हालांकि, 2017-18 के दौरान पूंजीगत व्यय के रूप ₹2,853.33 करोड़ के राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण के कारण पूंजीगत व्यय के हिस्से में वृद्धि हुई थी। संवितरित ऋण और अग्रिमों की हिस्सेदारी 2016-17 में 0.16 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 0.05 प्रतिशत हो गई थी।

चार्ट 1.14: कुल व्यय: गतिविधियों द्वारा प्रवृत्तियां (प्रतिशत में)



सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का एक संयुक्त हिस्सा जो विकास व्यय को दर्शाता है, वह 2013-14 में 62 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 65 प्रतिशत हो गया। व्यय के विभिन्न घटकों के सापेक्ष हिस्सेदारी की गतिविधि ने संकेत दिया कि 2017-18 में सामान्य सेवाओं का हिस्सा 35 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वर्ष में यह 33 प्रतिशत था, हालांकि सामाजिक सेवाएं पिछले वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत से बढ़कर 31 प्रतिशत हो गईं। आर्थिक सेवाएं भी 2017-18 में 38 प्रतिशत से घटकर 34 प्रतिशत हो गईं। आर्थिक और सामाजिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं में विकास राजस्व व्यय में कमी के होने कारण 67 प्रतिशत से घटकर 65 प्रतिशत हो गया।

### 1.6.2 राजस्व व्यय

तालिका 1.18 पाँच वर्षों (2013-18) से अधिक राजस्व व्यय की वृद्धि को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.18: राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व व्यय	27,058	29,329	36,420	39,812	40,916
वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.73	8.39	24.18	9.31	2.77
जीएसडीपी से प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	28	30	31	31	29

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान राजस्व व्यय में ₹13,858 करोड़ (51 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई लेकिन, उसी अवधि के दौरान जीएसडीपी से इसका प्रतिशत 28 प्रतिशत से बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया।

पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में ₹39,812 करोड़ से ₹40,916 करोड़ तक ₹1,104 करोड़ (2.77 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सामान्य सेवाओं के तहत ₹15,110 करोड़ से ₹16,888 करोड़ तक ₹1,778 करोड़ की वृद्धि हुई, सामाजिक सेवाओं में ₹1,553 करोड़ की वृद्धि हुई थी जो ₹11,564 करोड़ से बढ़कर ₹13,117 करोड़ तक हो गई थी, मुख्य रूप से शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल आपूर्ति स्वच्छता, पेंशन और विविध सेवाओं के तहत थी और आर्थिक सेवाओं में ₹2,227 करोड़ का व्यय कम हुआ था जो कि मुख्यतया ऊर्जा क्षेत्र के तहत था।

2017-18 में ₹40,916 करोड़ का राजस्व व्यय 14वें वित्त आयोग के द्वारा किए गए प्रक्षेपण (₹36,092 करोड़) से भी अधिक था जो मुख्य रूप से वेतन और पेंशन भुगतान के कारण हुआ था।

### 1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से ब्याज भुगतानों, वेतनों, पेंशन पर व्यय और आर्थिक सहायता निहित है। तालिका 1.19 और चार्ट 1.15 2013-18 के दौरान इन घटकों पर व्यय में हुई प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक


(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन	11,605	11,733	15,038	15,130	20,229	16,123
ब्याज भुगतान	3,001	3,533	3,719	4,567	5,157	4,663
पेंशन पर व्यय	3,592	3,686	3,781	4,216	5,000	5,408
आर्थिक सहायता	86	55	68	1,337	0	1,306
<b>कुल</b>	<b>18,284</b>	<b>19,007</b>	<b>22,606</b>	<b>25,250</b>	<b>30,386</b>	<b>27,500</b>
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	67	66	63	60		57
राजस्व व्यय का प्रतिशत	68	65	62	63		67

स्रोत संबंधित वर्ष के वित्तीय लेखे

चार्ट 1.15: कुल राजस्व व्यय में संयुक्त प्रतिबद्ध व्यय की हिस्सेदारी

(प्रतिशत में)



पेंशन भुगतान ने 2013-14 में ₹3,592 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹5,408 करोड़ तक वृद्धि की और पिछले वर्ष की तुलना में 28.27 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई तथा ब्याज भुगतान 2013-14 में ₹3,001 करोड़ से 2017-18 में ₹4,663 करोड़ तक ₹1,662 करोड़ (55.38 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई। वेतनों पर व्यय में 2016-17 में ₹15,130 करोड़ से 2017-18 में ₹16,123 करोड़ तक 2017-18 के दौरान 6.56 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।



वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और अन्य आर्थिक सहायताओं के लेखों में पिछले वर्ष 63 प्रतिशत के प्रति 2017-18 के दौरान राजस्व व्यय का 67 प्रतिशत निहित था।

### वेतनों पर व्यय

2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान वेतनों पर व्यय ने ₹4,518 करोड़ (38.93) प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान, वेतनों और मजदूरियों पर व्यय का सीएजीआर 6.60 प्रतिशत था, जो एससीएस से (20.60 प्रतिशत) कम था (परिशिष्ट 1.1)।

### ब्याज भुगतान

राजस्व प्राप्तियों में ब्याज के भुगतान का प्रतिशत 2013-14 में 11.06 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 में 9.61 प्रतिशत तक हो गया। ब्याज भुगतानों में पांच वर्षों (2013-14 से 2017-18) की अवधि में ₹3,001 करोड़ से ₹4,663 करोड़ तक ₹1,662 करोड़ (55.38 प्रतिशत) की वृद्धि हुई इसमें पिछले वर्ष से ₹96 करोड़ (2.10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹4,663 करोड़ के ब्याज भुगतान 14वें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों से अधिक थे (₹4,019 करोड़)।

### पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतान (₹5,408 करोड़) में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान 50.55 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जो राजस्व व्यय की 13.21 प्रतिशत थी। 2017-18 में पेंशन भुगतानों पर व्यय 14वें वित्त आयोग (₹5,297 करोड़) द्वारा किए गए आंकलनों से अधिक था। पेंशन देयताओं की वृद्धि को पूरा करने के लिए, राज्य द्वारा एक नई परिभाषित पेंशन अंशदान योजना (नई पेंशन योजना) की शुरुआत की गई जो 01 जनवरी 2010 से लागू हुई।

### आर्थिक सहायताएं

आर्थिक सहायता पर व्यय में 2013-14 में ₹86 करोड़ से 2017-18 में ₹1,306 करोड़ तक ₹1,220 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान आर्थिक सहायता पर व्यय राजस्व व्यय का तीन प्रतिशत था। वे प्रमुख शीर्ष जिन पर उस वर्ष के दौरान आर्थिक सहायताएं प्रदान की गई थी, विद्युत विकास विभाग (₹1,150 करोड़) और कृषि उत्पादन विभाग (₹119.90 करोड़) थे।

### नई पेंशन योजना

जम्मू और कश्मीर राज्य में नई पेंशन योजना (एनपीएस) की शुरुआत 01 जनवरी 2010 से की गई थी। एन.पी.एस जो उन सभी कर्मियों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने 2010 में सरकारी सेवाओं के पद का कार्यभार ग्रहण किया था, एक “परिभाषित

अंशदान पेंशन योजना” है जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी प्रत्येक माह मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान ₹687.72 करोड़ (वर्ष 2017-18 के दौरान एन.पी.एस का कुल अंशदान ₹622.16 करोड़ था जिसमें कर्मचारियों का अंशदान और राज्य सरकार का बराबर अंशदान ₹311.08 करोड़ और ₹65.56 करोड़ की पिछली देयताओं भी शामिल है) में से ₹628.31 करोड़ को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधन को जमा लेखों के इस शीर्ष से हस्तांतरित किया गया था। 31 मार्च 2018 तक एनएसडीएल/ ट्रस्टी बैंक में हस्तांतरित किए जाने हेतु अपेक्षित सरकारी कर्मचारियों के ₹59.41 करोड़ की राशि प्रमुख शीर्ष 8342 - “अन्य जमा” - 117 “परिभाषित अंशदान पेंशन योजना” के तहत थी। एनपीएस अंशदानों की अपलोडिंग में 1 से 14 दिनों के बीच विलंब हुआ था और यह नेटवर्किंग की समस्याओं, अपलोडिंग की देय विधि पर अवकाश होने/ पडने, और पीआरएएन इत्यादि के निष्क्रिय होने के कारण हुआ था।

मार्च 2018 की समाप्ति पर राजकोष में ₹3.64 करोड़ की राशि थी जो उनके संबंधित स्थाई सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के प्रति ग्राहक अंशदान के खाते में समायोजित नहीं किया गया है। वर्ष 2017-18 की शुरुआत से नई पेंशन योजना से संबंधित ₹65.56 करोड़ का शेष था जिस पर ₹5.11 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित था (वर्ष 2017-18 के लिए 7.80 प्रतिशत ब्याज दर जीपीएफ लेकर)। राज्य सरकार ने एनपीएस पर किसी भी ब्याज का भुगतान नहीं किया था, प्रोद्भूत ब्याज सहित संग्रहित, बेमेल तथा हस्तांतरित राशि योजना के तहत राज्य सरकार की उन बकाया देयताओं को प्रस्तुत करती है जिसकी संगणना नहीं की गई।

**सरकार को ब्याज सहित उस बकाया राशि को बिना विलंब के जमा करना चाहिए। जो जीपीएफ पर दी गई ब्याज भुगतान की दर से कम नहीं होनी चाहिए।**

#### 1.6.4 स्थानीय और स्वायत्त निकायों तथा अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को विभिन्न विभागों द्वारा स्थानीय और स्वायत्त निकायों तथा अन्य संस्थानों को अनुदान सहायक के रूप में दी जाने वाली सहायता को निम्नलिखित रूप से सारणीबद्ध किया गया है:

**तालिका 1.20: स्थानीय निकायों/ स्वायत्त निकायों को वित्तीय सहायता**

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	538.22	303.68	506.89	519.02	1,489.30
आवासीय और शहरी विकास	192.45	447.55	512.50	518.33	627.45
कृषि	13.80	158.93	186.79	265.59	243.66

सामान्य प्रशासन	19.46	12.55	13.11	17.35	38.37
उद्योग और वाणिज्य	23.52	20.32	21.47	20.29	39.98
पर्यटन	8.86	20.50	33.23	18.71	31.85
न्याय प्रशासन	0.05	4.77	6.01	5.97	6.94
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	14.06	134.82	51.81	337.06	245.41
अन्य	671.38	432.23	190.87	26.83	31.15
<b>कुल</b>	<b>1,481.80</b>	<b>1,535.35</b>	<b>1,522.68</b>	<b>1,729.15</b>	<b>2,754.11</b>
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता सहयोग	5.47	5.23	4.18	4.34	6.73

स्रोत संबंधित वर्षों के वित्तीय लेखे

वित्तीय सहायता में वर्ष 2013-14 में ₹1,481.80 करोड़ से वर्ष 2017-18 में बढ़कर ₹2,754.11 करोड़ तक वृद्धि हुई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान, कुल सहायता का 76.86 प्रतिशत (₹2,754.11 करोड़) शिक्षा व खेल, कला और संस्कृति तथा आवासीय और शहरी विकास को दिया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 के दौरान ₹557.89 करोड़ की राशि की वित्तीय सहायता लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास (जिसमें से लेह को ₹278.31 करोड़ और कारगिल को ₹279.58 करोड़ दिए गए थे) को प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त राज्य में 4,483 पंचायती राज संस्थान हैं (पीआरआई)। चयनित पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के अभाव के कारण वर्ष 2017-18 के लिए अनुदानों को जारी नहीं किया गया था।

## 1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और प्रत्यक्ष आधारभूत संरचना की उपलब्धता प्रायः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के मूलतः तीन पहलू शामिल हैं: व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय की दक्षता (उपयोग) और प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं के लिए परिव्यय-परिणाम संबंधों का निर्धारण)।

### 1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

मानव विकास को बढ़ाने के लिए, राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय निर्धारित करने की आवश्यकता है। तालिका 1.21 वर्ष 2017-18 के दौरान विकास हेतु व्यय, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और पूंजीगत व्यय से संबंधी सरकार की राजकोषीय क्षमता का विशेष श्रेणी के राज्यों के औसत के संबंध में विश्लेषण करता है।

तालिका 1.21: 2013-14 और 2017-18 में विशेष श्रेणी के राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	ईई/जीए सडीपी	एसएस ई/ईई	ईएससी /ईई	डीई/ईई	सीई/ईई	शिक्षा/ईई	स्वास्थ्य/ईई
विशेष श्रेणी वाले राज्य (अनुपात) 2013-14	23.50	37.60	29.30	64.00	13.80	18.30	5.40
जम्मू और कश्मीर (अनुपात) 2013-14	33.14	23.82	32.04	56.25	14.22	13.52	5.63
विशेष श्रेणी वाले राज्य (अनुपात) 2017-18	25.80	34.90	28.90	58.90	15.50	18.20	6.20
जम्मू और कश्मीर (अनुपात) 2017-18	36.41	31.01	34.46	65.51	20.18	15.32	6.00


ईई:-समुच्चय व्यय, डीई-विकास हेतु व्यय, एसएसई सामाजिक क्षेत्र हेतु व्यय

सीई:-पूँजीगत व्यय ईएससी- आर्थिक क्षेत्र

जीएसडीपी के लिए स्रोत आर्थिक निदेशालय और सांख्यिकीय विभाग जम्मू और कश्मीर

चार्ट 1.16: वर्ष 2017-18 के लिए सार्वजनिक व्यय में प्राथमिकता

(प्रतिशत में)



#### राजकोषीय प्राथमिकता:

- जीएसडीपी के अनुपात के रूप में जम्मू और कश्मीर राज्य का सकल व्यय 2013-14 और 2017-18 के दौरान अधिक था।
- वर्ष 2013-14 और 2017-18 के दौरान जम्मू और कश्मीर में शिक्षा को दी गई प्राथमिकता कम थी।

- वर्ष 2013-14 और 2017-18 के दौरान जम्मू और कश्मीर में एई से सीई का अनुपात अधिक था।
- 2013-14 और 2017-18 के दौरान जम्मू और कश्मीर में एई से एसएसई का अनुपात कम था, हालांकि उसी अवधि के दौरान आर्थिक क्षेत्र में यह अधिक था।

### 1.7.2 उपयोग किए गए व्यय की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को देखते हुए, राज्य सरकारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे उचित व्यय युक्तिकरण उपायों को अपनाए और मुख्य सार्वजनिक और लाभदायक सेवाओं के प्रावधान पर जोर दे। विकास हेतु व्यय की आवंटन में सुधार के अलावा, विशेष रूप से मौजूदा वर्षों में ऋण सेवा में गिरावट के कारण राजकोषीय क्षेत्र को ध्यान में रखकर कुल व्यय (और/ या जीएसडीपी) और मौजूदा सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के परिचालन और रखरखाव पर व्यय किए गए राजस्व का अनुपात के द्वारा से पूंजीगत व्यय के अनुपात के द्वारा व्यय के उपयोग की दक्षता को दर्शाया जाता है। कुल व्यय (और/ या जीएसडीपी) इन घटकों के अनुपात से अधिक होगा, इससे व्यय की गुणवत्ता बेहतर होगी। तालिका 1.22 पिछले वर्षों की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के समुच्चय व्यय से संबंधी विकास व्यय में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है।

2013-14 से 2017-18 के दौरान विकास हेतु व्यय में ₹13,968 करोड़ (71.14 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाया और उसी अवधि के दौरान कुल व्यय की तुलना में यह 61.97 प्रतिशत से 65.51 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई।

तालिका 1.22 में चयनित सार्वजनिक और आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किए गए पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के घटकों का ब्यौरे दिए गए हैं।

तालिका 1.22: विकास हेतु व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल व्यय	31,686	34,550	43,845	48,174	51,294
कुल विकास व्यय	19,635	21,903	29,058	32,295	33,603
विकास राजस्व व्यय (₹करोड़ में)	15,655	17,290	22,745	24,702	24,028
कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	49.41	50.04	51.87	51.28	46.84
विकास पूंजीगत व्यय (₹करोड़ में)	3,859	4,526	6,219	7,517	9,550
कुल व्यय में विकास पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	12.18	13.10	14.18	15.60	18.62

विकास के लिए ऋण और अग्रिम (₹करोड़ में)	121	87	94	76	25
कुल व्यय से कुल विकास व्यय (प्रतिशत में)	61.97	63.40	66.27	67.03	65.51

स्रोत संबंधित वर्षों के वित्तीय लेखे

कुल व्यय में विकास हेतु पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी की वर्ष 2013-14 में 12.18 प्रतिशत से 2017-18 में 18.62 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जबकि 2013-14 से 2015-16 के दौरान कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 49.41 से 51.87 प्रतिशत की निरंतर वृद्धि हुई, तत्पश्चात् यह वृद्धि दो वर्ष के लिए घट गई और उन वर्षों के दौरान यह 46.84 प्रतिशत तक कम हो गई। विकास हेतु पूंजीगत व्यय में वृद्धि यह दर्शाती है कि सरकार विकास निर्माण कार्यों और परिसंपत्तियों के सृजन के लिए खर्च कर रही है। हालांकि, पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय के ₹2,853 करोड़ के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय में उस हद तक बढ़ोतरी हुई।

तालिका 1.23: चयनित आर्थिक और सामाजिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक संरचना	2015-16			2016-17			2017-18		
	सीई से टीई का अनुपात	आरई में हिस्सा		सीई से टीई का अनुपात	आरई में हिस्सा		सीई से टीई का अनुपात	आरई में हिस्सा	
		एस एवं डब्ल्यू	ओ एवं एम		एस एवं डब्ल्यू	ओ एवं एम		एस एवं डब्ल्यू	ओ एवं एम
<b>सामाजिक क्षेत्र (एसएस)</b>									
सामान्य शिक्षा	8.39	66.03	1.70	8.93	69.46	0.02	11.26	63.00	0.03
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	9.22	74.01	66.33	15.47	70.30	0.82	16.59	72.65	0.88
जल आपूर्ति, स्वच्छता व आवास तथा शहरी विकास	28.76	46.27	51.43	31.23	49.19	4.43	32.79	42.39	4.93
अन्य	49.95	20.68	25.55	22.54	14.33	0.03	19.91	15.54	0.01
<b>कुल (एसएस)</b>	<b>19.09</b>	<b>59.88</b>	<b>25.51</b>	<b>16.62</b>	<b>59.07</b>	<b>0.91</b>	<b>17.52</b>	<b>56.26</b>	<b>0.98</b>
<b>आर्थिक क्षेत्र (ईएस)</b>									
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	27.59	80.37	19.48	27.26	80.02	0.24	31.09	80.29	0.25
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	42.82	78.22	50.95	47.94	61.62	9.32	41.71	62.54	8.73
बिजली और ऊर्जा	4.19	9.16	70.90	7.98	7.60	0.74	11.54	12.74	1.58
यातायात	48.50	0.07	2.18	51.68	0.03	12.09	54.08	0.01	7.10
अन्य	48.85	8.55	11.59	57.42	41.56	0.75	62.30	44.79	0.92
<b>कुल (ईएस)</b>	<b>23.70</b>	<b>3.88</b>	<b>3.88</b>	<b>28.40</b>	<b>24.76</b>	<b>1.67</b>	<b>38.26</b>	<b>31.91</b>	<b>2.23</b>
<b>कुल (एसएस)+(ईएस)</b>	<b>21.47</b>	<b>62.45</b>	<b>29.09</b>	<b>23.33</b>	<b>40.82</b>	<b>1.31</b>	<b>28.44</b>	<b>45.20</b>	<b>3.41</b>

टीई: संबंधित सेवाओं पर कुल व्यय; सीई पूंजीगत व्यय; आरई राजस्व व्यय; एस एवं डब्ल्यू वेतन और मजदूरी; ओ एवं एम: परिचालन और रखरखाव

सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र में कुल व्यय के लिए पूंजीगत व्यय का अनुपात 2015-16 में 21.47 प्रतिशत, से 2016-17 में 23.33 प्रतिशत और 2017-18 में 28.44 प्रतिशत की लगातार वृद्धि हुई है यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र में 23.70 प्रतिशत से 38.26 प्रतिशत व्यय में हुई वृद्धि के कारण हुई थी। **आर्थिक क्षेत्र में हुई वृद्धि के कारण विद्युत और ऊर्जा, कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ तथा यातायात में भी वृद्धि हुई।**

### 1.8 सरकार के पूंजीगत व्यय और निवेश का वित्तीय मूल्यांकन

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए फ्रेमवर्क के भाग के रूप में, राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल अपने वित्तीय घाटे को निम्न स्तर पर रखे बल्कि अपने पूंजीगत/ निवेश (ऋण और अग्रिम सहित) की आवश्यकताओं को राजस्व से पूरा करें। इसके अलावा, बाजार आधारित संसाधनों पर निर्भरता को पूरा करने के लिए संव्यवहार में, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त लाभ अर्जित करने के लिए उपाये करने और अंतर्निहित सब्सिडी के रूप में अपने बजट पर उसका वहन करने की बजाय उधार ली गई निधियों की लागत की वसूली करने और वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने की आवश्यकता है। यह भाग पिछले वर्षों की तुलना में मौजूदा वर्ष के दौरान सरकार किए गए निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

#### 1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर 31 मार्च 2018 तक ₹एक करोड़ या उससे अधिक की लागत की अपूर्ण परियोजनाओं के ब्यौरे वित्तीय लेखों के परिशिष्ट IX में दिये गये हैं। 428 अपूर्ण परियोजनाएं नीचे दी गई हैं:

#### तालिका 1.24: 31 मार्च 2018 तक अपूर्ण परियोजनाओं के विभागानुसार प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत परियोजना लागत	संशोधित लागत	वास्तविक व्यय सहित	लागत से अधिक
सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजिनियरींग (पीएचई), श्रीनगर*	02	17.25	17.25	16.99	-
सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजिनियरींग (पीएचई), जम्मू	23	36.07	46.41	39.82	10.34 (10)

लोक निर्माण विभाग (आरएवंबी), कश्मीर	33	58.61	80.89	43.24	22.28 (18)
लोक निर्माण विभाग (आरएवंबी), जम्मू*	364	1250.18	1250.18	375.28	-
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण श्रीनगर	01	70.20	71.29	69.39	1.09 (01)
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, जम्मू*	05	31.01	31.01	24.90	-
<b>कुल</b>	<b>428</b>	<b>1,463.32</b>	<b>1,497.03</b>	<b>569.62</b>	<b>33.71(29)</b>

स्रोत वित्तीय लेखे

\*371 अपूर्ण परियोजनाओं में संशोधित लागत वित्तीय लेखा-खण्ड-II के परिशिष्टIX में नहीं दर्शायी गई है। (कोष्ठक में आंकड़े निर्माण कार्यों को प्रस्तुत करते हैं)।

मार्च 2018 तक, एक करोड़ या उससे अधिक लागत की 428 अपूर्ण परियोजनाएं, 2012-13 से 2017-18 के दौरान लक्ष्य तिथि में पूरी की जानी थी। इन अपूर्ण परियोजनाओं की कुल संस्वीकृत लागत ₹1,463.32 करोड़ थी जो ₹1,497.03 करोड़ तक संशोधित की गई थी। इन विभागों से संशोधित लागत के कारण (सितम्बर 2018) अपेक्षित थे। इन अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹569.62 करोड़ की राशि मार्च 2018 तक खर्च की जा चुकी थी। 428 अपूर्ण परियोजनाओं में से, 10 परियोजनाएं एक वर्ष से भी अधिक की अवधि के लिए विलंबित की गई थी, 12 परियोजनाएं पाँच वर्षों से अधिक अवधि के लिए विलंबित की गईं और शेष 406 परियोजनाएं जो 2017-18 में पूरी की जानी थी वे अपूर्ण ही रह गईं थी। इस प्रकार, अपूर्ण परियोजनाएं/ निर्माण कार्यों पर निधियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और राज्य को लंबे अवधि हेतु मिलने वाले इच्छित लाभों से वंचित करती है।

सरकार अपूर्ण परियोजनाओं के पूर्ण होने में हुई विलंब के कारणों का विश्लेषण कर सकती है और इसकी पूर्णता के लिए कदम उठा सकती है ताकि अपेक्षित लाभार्थों को प्राप्त किया जा सके।

### 1.8.2 सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

₹461.84 करोड़ राशि के पूंजीगत व्यय सहित सात प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं<sup>3</sup> के वित्तीय परिणाम मार्च 2018 के अन्त तक यह दर्शाते हैं कि 2017-18 के दौरान इन योजनाओं से सिर्फ ₹0.05 करोड़ (₹461.84 करोड़ के पूंजीगत व्यय का 0.01 प्रतिशत) का राजस्व संपादित किया गया। पिछले वर्षों की तुलना में सात प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में से, ₹0.30 करोड़ के और ₹0.05 करोड़ के राजस्व प्राप्ति में गिरावट क्रमशः रनबीर कैनाल और प्रताप कैनाल के संबंध में थी। **योजनाओं की राजस्व**

<sup>3</sup> 1. कठुआ फीडर कैनाल, 2. प्रताप कैनाल, 3. रनबीर कैनाल, 4. मार्टनड कैनाल, 5. जैनगीर कैनाल, 6. अहीजी कैनाल, 7. दादी कैनाल



प्राप्तियाँ प्रत्यक्ष निर्माण व्यय को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। निर्माण कार्य व्यय और ब्याज प्रभारों का पूरा होने के पश्चात् इन निर्माण कार्यों को कुल ₹3.66 करोड़ (पूँजीगत परिव्यय का 0.79 प्रतिशत) का नुकसान/ घाटा हुआ था। 2017-18 के दौरान प्रमुख हानि वहन करने वाली परियोजनाएं रनबीर कैनाल, प्रताप कैनाल और कठुआ फीडर थी।

### 1.8.3 निवेश और रिटर्न

वित्तीय लेखों की विवरणी के अनुसार 31 मार्च 2018 तक, राज्य का 24 कम्पनियों में (₹279.76 करोड़) ₹653.52 करोड़, तीन सांविधिक निगम में (₹322.74 करोड़), आठ सहकारी संस्थान/ स्थानीय निकाय में (₹37.83 करोड़) दो ग्रामीण बैंकों में (₹12.85 करोड़) और दो संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में (₹0.34 करोड़) का संचयी निवेश था। तालिका 1.25 सरकारी उधार की औसत लागत की तुलना में निवेश पर रिटर्न की समग्र वर्णन प्रदान करती हैं।

तालिका 1.25: निवेश पर रिटर्न

उधारी के निवेश/ रिटर्न/ लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्ष के दौरान निवेश (₹करोड़ में)	35.02	3.90	10.67	255.90	96.08
वर्ष के अन्त में निवेश (₹करोड़ में)	533.27	537.17	547.83	803.74	653.52
रिटर्न (₹करोड़ में)	128.88	128.88	54.13	45.11	शून्य
रिटर्न (प्रतिशत में)	24.17	23.99	9.88	5.61	शून्य
सभी सरकारी देयताओं पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.07	7.6	7.17	7.77	7.15
रिटर्न और ब्याज दर में अन्तर (प्रतिशत)	17.10	16.39	2.71	(-) 2.16	(-) 7.15

स्रोत संबंधित वर्ष के वित्तीय लेखें

वर्ष 2013-14 से 2014-15 के दौरान लाभांश/ ब्याज की प्राप्ति ₹128.88 करोड़ थी। हालांकि, यह घटकर 2015-16 में ₹54.13 करोड़, 2016-17 में ₹45.11 करोड़ हो गई और 2017-18 के दौरान कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई। केवल जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड से ही निवेश पर रिटर्न आया जिसमें सरकार की 59.23 प्रतिशत इक्विटी है। वर्ष 2013-14 के दौरान लाभांश/ ब्याज की दर 24.17 प्रतिशत थी और यह आगामी वर्षों के दौरान निरन्तर घट गई तथा 2017-18 में कोई भी रिटर्न नहीं था, जबकि कथित अवधि के दौरान निवेश ₹533.27 करोड़ से बढ़कर ₹653.52 करोड़ हो गया। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने ₹401.57 करोड़ तक का निवेश किया

(कम्पनी - चार, वैधानिक निगम - दो और ग्रामीण/सहकारी बैंक - दो) इनमें से सिर्फ दो<sup>4</sup> ने ही लाभ किया और शेष छह<sup>5</sup> को निरन्तर हानि हुई तथा उनके लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के समय ₹3,153.29 करोड़ राशि की संयुक्त संचित हानियां हुई थी।

2017-18 के दौरान, राज्य द्वारा मुख्यतः हानि करने वाले वैधानिक उपक्रमों/ सरकारी कम्पनियों नामतः जम्मू और कश्मीर राज्य वित्तीय निगम (₹87.88 करोड़), जम्मू और कश्मीर राज्य मार्ग यातायात निगम (₹3.75 करोड़), जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड (₹3.55 करोड़) और जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड (₹0.90 करोड़) में निवेश किया गया था। हालांकि, अन्तिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार इन वैधानिक निगमों/ सरकारी कम्पनियों के पास - जम्मू और कश्मीर वित्तीय निगम (₹135.50 करोड़ 2016-17 तक), जम्मू और कश्मीर राज्य मार्ग यातायात निगम (₹1,148.11 करोड़ 2013-14 तक), जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड (₹1,632.29 करोड़ 2016-17 तक), जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड (₹5 करोड़ 2001-02 तक) संचित हानियाँ थी। 31 मार्च 2018 तक राज्य का उपरोक्त चार पीएसयू/ सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश ₹364.20 करोड़ है जिनकी संचित हानियाँ उनके लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की तिथि तक ₹2,920.90 करोड़ की थी।

राज्य सरकार द्वारा उन राज्य पीएसयू के कार्य की समीक्षा की जाए जिन्हें हानि हुई है और उनके समापन/ पुनः प्रवर्तन के लिए एक सामरिक योजना तैयार की जाए।

#### 1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिमें

सहकारी संस्थाओं, निगमों और कम्पनियों में, निवेश के अतिरिक्त सरकार ऐसे बहुत से संस्थानों और संगठनों को ऋण और अग्रिम प्रदान कर रही है। तालिका 1.26 पिछले पांच वर्षों में ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियों की 31 मार्च 2018 तक बकाया ऋण और की अग्रिम स्थिति प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.26: राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिमों पर औसतन ब्याज प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

उधार/ लागत ऋण/ ब्याज प्राप्तियाँ/ की मात्रा	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आदिशेष	1,292.55*	1,409.83	1,493.94	1,583.64	1,640.52
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	121.41	86.80	93.79	76.24	24.75
वर्ष के दौरान वसूल की गई रकम	4.13	2.69	4.09	19.36	4.41

<sup>4</sup> जम्मू और कश्मीर सीमेंट निगम और जम्मू और कश्मीर नारी विकास निगम लिमिटेड

<sup>5</sup> जम्मू और कश्मीर राज्य वित्तीय निगम, जम्मू और कश्मीर राज्य मार्ग यातायात निगम, जे एण्ड के बैंक लिमिटेड, जे एण्ड के एससी/एसटी/बैंकव्याज क्लासेज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ईलाकि देहाती बैंक तथा जम्मू और कश्मीर राज्य सहकारी कृषि संबंधी और ग्रामीण विकास बैंक

अंतशेष	1,409.83	1,493.94	1,583.64	1,640.52	1,660.86
उनका बकाया शेष जिनके लिए नियम और शर्तें निर्धारित की गईं					
कुल जोड़	117.28	84.1	89.70	56.89	20.34
ब्याज प्राप्तियाँ	1.64	1.88	0.97	1.88	2.17
बकाया ऋण और अग्रिमों के प्रतिशत अनुसार ब्याज प्राप्तियाँ	0.12	0.13	0.06	0.11	0.13
बकाया राजकोषीय देयताओं और ब्याज प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार ब्याज भुगतान	6.72	7.31	6.72	7.34	6.84
ब्याज भुगतानों और ब्याज प्राप्तियों के बीच अन्तर (प्रतिशत में)	6.60	7.18	6.66	7.23	6.71

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्तीय लेखें

\*राज्य सरकार द्वारा विविधिकरण गलत वर्गीकरण के सुधार के कारण 31 मार्च 2013 तक ₹167.00 करोड़ की एक राशि में दर्शनार्थ वृद्धि हुई

हानि वहन कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से ऋण और अग्रिमों की वसूली की संभावना नहीं है। विधानमंडल में प्रस्तुत किए गए एफआरबीएम विवरणियों में इन ऋणों की संभावित वसूली के बारे कोई भी आंकलन नहीं किया गया है।

### 1.8.5 नकदी शेष और उनका निवेश

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए नकदी शेष और नकदी शेष के निवेश तुलनात्मक आकड़े निम्नलिखित हैं:

तालिका 1.27: नकदी शेष और नकदी शेषों के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2017	अन्त शेष 31 मार्च 2018
<b>(क) सामान्य नकद शेष</b>		
राज्य कोष में शेष	6.77	6.77
रिजर्व बैंक के पास जमा	0.96	126.72
जम्मू और कश्मीर बैंक और अन्य बैंकों के साथ जमा	21.02	21.02
स्थानीय प्रेषण	-	-
<b>कुल</b>	<b>28.75</b>	<b>154.51</b>
नकदी शेष निवेश खाता में धारित निवेश	383.92	383.92
<b>कुल (क)</b>	<b>412.67</b>	<b>538.43</b>
<b>(ख) अन्य नकद शेष और निवेश</b>		
विभागीय अधिकारियों यानि, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, वन विभागीय अधिकारियों के पास शेष	4.97	4.97
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय स्थायी अग्रिम	0.12	0.12
निर्धारित निधियों में से निवेश	10.86	10.86
<b>कुल (ख)</b>	<b>15.95</b>	<b>15.95</b>
<b>कुल योग (क)+(ख)</b>	<b>428.62</b>	<b>554.38</b>

स्रोत संबंधित वर्षों के राज्य वित्तीय लेखें

01 अप्रैल 2011 से राज्य सरकार अपने नकदी/ अधिविकर्ष प्रबन्धन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैंकिंग कर रहा है। 2017-18 के दौरान नकदी-शेष 31 मार्च 2017 तक ₹429 करोड़ से ₹125 करोड़ बढ़कर 31 मार्च 2018 तक ₹554 करोड़ हो गया।

वर्ष 2017-18 के लिए नकदी शेष निर्धारित आरक्षित निधियों ₹2,164 की राशि के समान/ बराबर नहीं था जिसका अर्थ है कि आरक्षित निधियों का उपयोग अपेक्षित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य के लिए किया गया। 31 मार्च 2018 तक, ₹383.92 करोड़ की राशि नकद शेष निवेश खाता में रखी गयी और निर्धारित निधियों से ₹10.86 करोड़ की राशि का निवेश किया गया। राज्य सरकार ने इस पर ₹6.52 करोड़ का ब्याज कमाया/ अर्जित किया।

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान स्पेशल वेज और मींस एडवांस या वेज और मींस एडवांस (डब्ल्यूएमए) को लिए बिना 166 दिनों तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास ₹1.14 करोड़ अनिवार्य न्यूनतम दैनिक नकदी शेष को बनाए रखा, और 199 दिनों तक न्यूनतम शेष का अनुरक्षण नॉर्मल वेज और मींस एडवांस को 94 बार किया अपनाकर गया था। राजस्व अधिशेष के बावजूद राज्य ने 27 दिनों के लिए ओवरड्राफ्ट लिया। 01 अप्रैल 2017 तक नॉर्मल मींस और मींस एडवांस के तहत ₹880.00 करोड़ का शेष था और आवरड्राफ्ट के तहत ₹10.01 करोड़ का शेष था। वर्ष 2017-18 के अन्त तक नॉर्मल वेज और मींस एडवांसेज के तहत ₹300.71 करोड़ शेष था और ओवरड्राफ्ट के तहत यह शून्य था तथा वर्ष 2017-18 के दौरान नॉर्मल वेज और मींस एडवांस और ओवरड्राफ्ट पर भारतीय रिजर्व बैंक को क्रमशः ₹18.38 करोड़ और ₹3.99 करोड़ की राशि का ब्याज भुगतान किया गया था। राज्य को वेज और मींस एडवांसेज पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रबन्धन को सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता है।

## 1.9 परिसंपत्तियां और देयताएं

### 1.9.1 परिसंपत्तियों और देयताओं की वृद्धि और सरंचना

वर्तमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व की भूमि और भवनों जैसी अचल परिसंपत्तियों का व्यापक लेखांकन नहीं किया गया। हालांकि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं को ऐतिहासिक लागत अर्थात् न्यूनतम रूप में बिना समायोजित करते हुए मूल्य वृद्धि/ मूल्यहास नकद अंतर्वाह और बहिर्वाह के रूप में किए गए व्यय से निर्मित परिसंपत्तियों को लिखा जाता है। वर्ष 2017-18 के वित्तीय लेखों के विवरण 12, निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग का अवलोकन प्रदान करता है। 2017-18 के वित्त लेखों के विवरण 6 और विवरण 17 सरकार की वित्त प्रणाली की वित्त देयताओं जैसे खुला बाजार वित्त संस्थानों से उधारी, केन्द्र सरकार से ऋण और

अग्रिमों, और जहाँ पर सरकार एक ट्रस्टी और बैंकर के रूप में कार्य करती है उनके संबंध में लोक लेखों के तहत हुई कुल प्राप्तियों की सार स्थिति प्रदान करती है।

राज्य सरकार के वित्त लेखों में राज्य सरकार से संबंधित सभी परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि परिसंपत्तियों के सहायक अभिलेख और उनके मूल्यांकन का रखरखाव महालेखाकार (लेखा व हकदारी), जम्मू और कश्मीर द्वारा नहीं किया जाता है। वित्त लेखों में केवल, संचयी पूंजीगत व्यय, परिसंपत्तियों के साक्षेप/ मूल्यहास के समायोजन के बिना नामांकित प्रवृत्तियों में प्रत्येक वर्ष में जमा किए जा रहे पूंजीगत व्यय को दर्शाया जाता है।

### 1.9.2 राजकोषीय देयताएं

देयताओं के दो सेट हैं अर्थात्, सार्वजनिक ऋण और “लोक लेखों के तहत अन्य देयताएं”। सार्वजनिक ऋण में बाजार ऋण, आरबीआई द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिमों शामिल होते हैं। अन्य देयताएं, जो लोक लेख के भाग हैं, इसमें लघु बचत योजना के तहत जमा, भविष्य निधि और अन्य जमा शामिल है। पाँच वर्षों के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना तालिका 1.28 में प्रस्तुत की गई है (2013-14 से सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं में प्रवृत्तियाँ) (परिशिष्ट 1.4 और 1.5)।

तालिका 1.28: 2013-14 से 2017-18 के दौरान राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)


राजकोषीय देयताओं के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
खुला बाजार व वित्त संस्थानों से आंतरिक ऋण-उधारियाँ	24,715 (55)	26,525 (55)	30,452 (55)	34,267 (55)	37,419 (55)
भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिमों	1,775 (4)	1,675 (3)	1,579 (3)	1,489 (2)	1,405 (2)
लोक लेखा देयताएं	18,183 (41)	20,114 (42)	23,327 (42)	26,463 (43)	29,393 (43)
जीएसडीपी	95,619	98,370	1,17,187	1,26,847	1,40,887
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.73	2.88	19.13	8.24	11.07
कुल राजकोषीय देयताएं	44,673	48,314	55,358	62,219	68,217
राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.94	8.15	14.57	12.39	9.64
राजस्व प्राप्तियाँ	27,128	28,939	35,781	41,978	48,512
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय देयताएं	164.67	166.95	154.71	148.22	140.62
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	3.47	6.68	23.64	17.31	15.56

अधिक्य अनुपात					
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजकोषीय देयताएं	3.15	1.22	0.61	0.71	0.62
जीएसडीपी की तुलना में राजकोषीय देयताएं	1.12	2.83	0.76	1.50	0.87

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल राजकोषीय देयताओं को प्रतिशत में हैं। राजस्व प्राप्तियों से राजकोषीय देयताओं को अनुपात और जीएसडीपी से राजकोषीय देयताएं का अनुपात एक से कम है जो उत्साहजनक है।

### चार्ट 1.17: बकाया राजकोषीय देयताओं की संरचना

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखें

सरकार की कुल राजकोषीय देयताएँ वर्ष 2013-14 में ₹44,673 करोड़ से वर्ष 2017-18 में बढ़कर ₹68,217 करोड़ हो गई। इसमें 31 मार्च 2017 के अन्त में ₹62,219 करोड़ से 31 मार्च 2018 की समाप्ति तक ₹68,217 करोड़ तक ₹5,998 करोड़ की वृद्धि हुई। जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में, संचित राजकोषीय देयताओं में 2016-17 के अन्त तक 49.05 प्रतिशत से 2017-18 के अन्त तक 48.41 प्रतिशत तक कमी आई। 31 मार्च 2018 को संचित देयताएँ सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹48,512 करोड़) से 1.41 गुणा अधिक और सरकार के अपने कर और गैर-कर राजस्वों से 4.91 गुणा अधिक थी। 2017-18 के दौरान जीएसडीपी के संबंध में इन देयताओं का आधिक्य अनुपात 0.87 प्रतिशत था, जो दर्शाता है कि जीएसडीपी में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि हेतु वित्तीय देयताएँ 0.87 गुणा बढ़ जाती हैं। इस बात पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2017-18 के लिए 14वें वित्त आयोग में अनुमानित ₹66,639 करोड़<sup>6</sup> की सीमा से ₹68,217 करोड़ की राजकोषीय देयताएँ ₹1,578 करोड़ अधिक थीं।

<sup>6</sup> 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (जीएसडीपी का 47.30 प्रतिशत) के आधार पर संगणित

### 1.9.3 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां वे निधियां होती हैं जो राज्य के लोक लेखों का हिस्सा होती हैं इसकी सरचना समेकित निधि से विनियोजित राशियों से एक अलग उद्देश्य के लिए रखी हुई निधि होती है। तालिका 1.29 में 31 मार्च 2018 तक विभिन्न आरक्षित निधियों में अंत शेषों की गतिविधि दर्शाई गई है। 31 मार्च 2018 के अन्त में इन निधियों में संचित समुच्च्य शेष ₹2,175 करोड़ था जिसमें से ₹11 करोड़ सरकारी लेखों से बाहर निवेश किए गए हैं। निधियों में लेन-देनों की प्राप्ति/ संवितरण की समीक्षा से यह भी देखा गया है कि, अधिकतर निधियां निष्क्रिय थी जिनमें शून्य/ नगण्य संव्यवहार हुए थे।

तालिका 1.29: आरक्षित निधि के तहत वर्ष के अन्त में अन्त शेष की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

आरक्षित निधियां	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियां</b>					
आपदा राहत निधि (अब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि)	882	202	336	600	740
ब्याज वहन करने वाली कुल-आरक्षित निधि	882	202	336	600	740
<b>आरक्षित निधियां जो ब्याज वहन नहीं करती</b>					
आपदा राहत निधि (अब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि)	28	28	--	--	--
ऋण शोधन निधि	61	97	135	169	220
अकाल राहत निधि	9	9	8	9	9
सरकार के वाणिज्य विभाग/ उपक्रम की मूल्यहास और नवीकरण आरक्षित निधि	574	574	573	573	573
सरकार के गैर वाणिज्य विभाग की मूल्यहास और नवीकरण और आरक्षित निधियां	73	73	73	73	73
कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि	41	41	41	41	41
निर्वाचन क्षेत्र विकास निधियां	95	72	104	116	160
अन्य विकास और कल्याण निधियां	104	85	115	136	183
सामान्य बीमा निधि (जनता बीमा)	68	66	65	63	67
गारंटी विमोचन निधि	6	7	8	12	15
अन्य निधियां	67	77	86	93	94

कुल-आरक्षित निधियां ब्याज वहन नहीं करने वाली	1,126	1,129	1,208	1285	1,435
कुल आरक्षित निधियां	2,008	1,331	1,544	1,885	2,175
जिसका शेष निवेश किया गया					
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से निवेश	11	11	11	11	11

स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखें

### 1.9.3.1 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

(क) 01 अप्रैल 2017 तक, ₹600.56 करोड़ निधि से निवेश किए गए (जिसमें ₹10.86 करोड़ शामिल है) निधि में पड़े थे। 2017-18 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई भी राशि जारी नहीं की गई। हालांकि पिछले वर्ष की ₹162.03 करोड़ की राशि (₹120.60 करोड़ केन्द्र सरकार का हिस्सा, ₹13.50 करोड़ राज्य सरकार का हिस्सा, और ₹27.93 करोड़ ब्याज) निधि में हस्तांतरित की गई। वर्ष के दौरान, ₹22.20 करोड़ की निधि प्राकृतिक आपदाओं पर खर्च की गई, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2018 तक निधि ₹740.39 करोड़ की शेष निधि बची। निधि का प्रबंधन करने वाली राज्य की कार्यकारी समिति (एसईसी) की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों और या नीलाम राजकोषीय बिलों और/ या सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वहन करने वाली जमा और जमा प्रमाणपत्र में निवेश हेतु अपेक्षित ₹729.53 करोड़ के निवल शेष (₹740.39 करोड़ में से ₹10.86 करोड़, की निवेश राशि घटाकर) को निवेश नहीं किया गया था (मार्च 2018)।

(ख) वर्ष 2017-18 के आरंभ ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियों (एसडीआरएफ) के तहत ₹600.56 करोड़ का बकाया शेष था और ₹36.54 करोड़ (वेज और मींस एडवांस पर औसतन ब्याज दर 01 अप्रैल 2017 से 01 अगस्त 2017 तक 6.25 प्रतिशत और 02 अगस्त 2017 से 31 मार्च 2018 तक छह प्रतिशत) लेकर ब्याज वहन करने वाली निधि (एसडीआरएफ) के तहत पड़े हुए ₹600.56 करोड़ के शेष पर ब्याज के रूप में भुगतान किए जाने अपेक्षित थे। राज्य सरकार को वर्ष 2016-17 के लिए एसडीआरएफ अनुदानों की दूसरी किश्त के संबंध में विलंब के कारण प्रोदभूत ब्याज के कारण ₹1.26 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। **हालांकि, ₹37.80 करोड़<sup>7</sup> के ब्याज के भुगतान के प्रति, राज्य सरकार ने ब्याज वहन करने वाले आरक्षित निधियों (एस.डी.आर.एफ) पर ₹27.93 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹9.87 करोड़ तक ब्याज का कम भुगतान हुआ।**

<sup>7</sup> ₹37.80 करोड़ का कुल देय ब्याज (वर्ष 2016-17 के लिए राज्य द्वारा भुगतान किए जाने वाला ₹36.54 करोड़ का ब्याज तथा एसडीआरएफ के अनुदानों की दूसरी किश्त के संबंध में विलम्ब हेतु प्रोदभूत ब्याज के कारण ₹1.26 करोड़)



### 1.9.3.2 समेकित ऋण शोधन निधि

राज्य सरकार से कुल बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत अनुरक्षित करना अपेक्षित है, क्योंकि वार्षिक देयताओं का 0.5 प्रतिशत निधि में किया जाना चाहिए। 31 मार्च 2018 तक, इस निधि में शेष राशि इस निधि में वास्तव में हस्तांतरित ₹219.55 करोड़ के प्रति ₹294.13 करोड़ होने चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ₹74.58 करोड़ की धनराशि का अंशदान में कम हुआ। इससे वर्ष 2017-18 के दौरान ₹29.99 करोड़ अर्थात ₹5,997.95 करोड़ की कुल वार्षिक देयताओं का 0.5 प्रतिशत के अपेक्षित अंशदान के प्रति ₹50.79 करोड़ का अंशदान किया गया था। मार्च 2018 तक निधि के तहत शेष धनराशि का निवेश नहीं किया गया था।


### 1.9.3.3 गारंटी शोधन निधि

राज्य सरकार ने विभिन्न राज्य सरकार संस्थानों को दी गई गारंटियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं को पूरा करने के लिए 2005-06 में गारंटी शोधन निधि (जीआरएफ) की स्थापना की। दिशा-निर्देशों के तहत, राज्य सरकार से पिछले वर्ष के अन्त तक बकाया गारंटियों के 0.5 प्रतिशत की दर पर निधि में न्यूनतम वार्षिक अंशदान करना अपेक्षित है। राज्य सरकार ने ₹13.17 करोड़ की न्यूनतम आवश्यकता अर्थात {31 मार्च 2017 को ₹2,633.95 करोड़ की बकाया प्रत्याभूति (₹1.97 करोड़ का ब्याज छोड़कर) का 0.5 प्रतिशत के प्रति 2017-18 में निधि में ₹1.00 करोड़ का अंशदान किया} जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 के लिए अभिदान में ₹12.17 करोड़ की कमी हुई। राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान ₹ दो करोड़ की धनराशि गारंटी कमीशन/ शुल्क के रूप में प्राप्त की और इसे निधि में जमा किया गया। 31 मार्च 2018 तक निधि का अन्त शेष ₹15.42 करोड़ था।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरक्षित निधि में अभिदान वार्षिकी किए जाएं जैसा कि निर्धारित है।

### 1.9.4 गारंटी की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

गारंटी उस उधारकर्ता द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि से दी जाने वाली आकस्मिक देयताएं हैं जिसके लिए गारंटी दी गई है वित्त लेखों के विवरण 9 के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के लिए अधिकतम राशि, जिसके लिए राज्य द्वारा गारंटी दी जा सकती थी और ब्याज सहित, बकाया गारंटियों को नीचे तालिक बद्ध किया गया है:




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

एफआरबीएम अधिनियम, 2006 में वार्षिक वार्धिक जोखिम वाली गारंटियों की राशि को पिछले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 75 प्रतिशत या पिछले वर्ष के जीएसडीपी के 7.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक सीमित करने का आदेश राज्य सरकार को दिया गया है। 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त बकाया गारंटी ₹2,414.10 करोड़ (ब्याज रहित) (राज्य सरकार के साथ समायोजन के अंतर्गत) थी जो ₹1.97 करोड़ के ब्याज सहित 2016-17 के ₹41,978 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों के 5.75 प्रतिशत और 2016-17 के ₹1,26,847 करोड़ (वर्तमान मूल्य) का जीएसडीपी के 1.90 प्रतिशत है जैसाकि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है (28 अगस्त 2018)। राज्य सरकार ने अभी (सितम्बर 2018 तक) विभिन्न गारंटियों के जोखिमों का मूल्यांकन नहीं किया है।

राज्य सरकार के विभागों/ राज्य के अपने निगमों और पीएसयू तथा अन्य स्वायत्त और सांविधिक निकायों की ओर से जारी गारंटियों से उत्पन्न अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने गारंटी शोधन निधि (जीआरएफ) की स्थापना (2005-06) की है। कथित आदेश में गारंटी कमीशन/ शुल्क के उदग्रहण के लिए प्रावधान किए गए हैं, जो गारंटी का दो प्रतिशत होता है, जैसा कि राज्य वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया था। 2017-18 के दौरान ₹दो करोड़ की राशि गारंटी शुल्क/कमीशन के रूप में प्राप्त की गई थी।

चार्ट 1.20: 31 मार्च 2018 के अन्त में गारंटियों का क्षेत्र-वार विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: राज्य वित्त लेखे

राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत किया गया चौरानवे प्रतिशत ऋण जम्मू और कश्मीर विद्युत बोर्ड और जम्मू और कश्मीर विद्युत विकास निगम से संबंधित था।

31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार द्वारा दी गई कुल बकाया गारंटियां ₹2,414.10 करोड़ पर संचित थी (ब्याज रहित) (राज्य सरकार के मिलान सहित) जो 2016-17 के ₹41,978 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 5.75 प्रतिशत है और जो एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा में हैं।

### 1.10 ऋण प्रबंधन

तालिका 1.30 पिछले पांच वर्षों के लिए राज्य सरकार के आंतरिक ऋण रूपरेखा का समय श्रृंखला मूल्यांकन प्रदान करती है।

तालिका 1.30: राज्य सरकार की आंतरिक ऋण रूपरेखा


(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान कर्ज अदायगी	अन्त शेष	वृद्धि/ गिरावट	पिछले वर्ष पर वृद्धि प्रतिशत
2013-14	22,796.18	5,986.82	4,068.12	24,714.88	1,918.70	08
2014-15	24,714.88	10,246.80	8,436.28	26,525.40	1,810.52	07
2015-16	26,525.40	14,627.78	10,701.55	30,451.63	3,926.23	15
2016-17	30,451.63	20,723.83	16,908.71	34,266.75	3,815.12	13
2017-18	34,266.75	25,525.97	22,374.19	37,418.53	3,151.78	09

स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखें

आंतरिक ऋण में बाजार ऋण, एलआईसी, जीआईसी और अन्य संस्थानों से ऋण, शामिल है, जैसा कि वित्त लेखें के विवरण 17 में विवरण दिया है। राज्य सरकार के आंतरिक ऋण का एक बड़ा हिस्सा बाजार ऋण के रूप में है, जिसमें ब्याज दर 6.97 प्रतिशत से लेकर 14.00 प्रतिशत तक है। 2017-18 में, राज्य सरकार ने बॉन्ड के प्रति उधार लिया, वित्तीय संस्थानों से ₹19,326 करोड़ (₹25,526 करोड़ की

कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से) ऋण लिया। बांड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, विशेष प्रतिभूतियों का भुगतान ₹20,148 करोड़ था। 31 मार्च 2018 तक बकाया बाजार ऋण ₹26,019 तक था जो कि ₹37,419 करोड़ के कुल बकाया आंतरिक ऋण का 69.53 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान बाजार उधारी में वृद्धि 2016-17 में ₹20,724 करोड़ से 2017-18 में ₹25,526 करोड़ तक ₹4,802 करोड़ (23.17 प्रतिशत) थी।



चार्ट 1.21 दर्शाता है कि राज्य का आंतरिक ऋण 2013-14 में ₹5,987 करोड़ से 2017-18 में ₹25,526 करोड़ तक ₹19,539 (326 प्रतिशत) वृद्धि हो गई।

चार्ट 1.22 दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान आंतरिक ऋण की अदायगी में ₹4,068 करोड़ से ₹22,374 करोड़ तक ₹18,306 करोड़ (450 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। 2017-18 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹2,950 करोड़ का ब्याज दिया गया था।

### ऋण स्थिरता

ऋण स्थिरता का तात्पर्य भविष्य में अपने ऋण की सेवा के लिए राज्य की क्षमता से हैं। राज्य सरकार के ऋण के परिणाम के अलावा, विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं। बकाया ऋण की वृद्धि दर के संबंध में राज्य सरकार के ऋण की स्थिरता के निर्धारण का विश्लेषण करता है; ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों, ऋण भुगतान और ऋण प्राप्ति का अनुपात; राज्य को उपलब्ध निवल ऋण है। तालिका 1.31 में 2013-14 से शुरू होने

वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.31: ऋण स्थिरता

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता के संकेतक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सार्वजनिक ऋण बकाया	26,490	28,201	32,031	35,756	38,823
सार्वजनिक ऋण बकाया की वृद्धि दर	7.53	6.46	13.58	11.63	8.58
जीएसडीपी	95,619	98,370	1,17,187	1,26,847	1,40,887
जीएसडीपी की वृद्धि दर	9.73	2.88	19.13	8.24	11.07
राजस्व प्राप्ति	27,128	28,939	35,781	41,978	48,512
ऋणों पर ब्याज भुगतान	2,060	2,388	2,463	2,836	*3,038
बकाया ऋण के औसत ब्याज दर (ब्याज देय/ सार्वजनिक ऋण की ओबी सार्वजनिक ऋण की सीबी/2)	8	9	8	8	8
राजस्व प्राप्ति की ब्याज की प्रतिशतता	7.59	8.25	6.88	6.76	6.26
ऋण प्राप्ति	6,002	10,259	14,645	20,749	25,557
ऋण भुगतान	4,147	8,549	10,815	17,023	22,490
ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान की प्रतिशतता	69.09	83.33	73.84	82.04	88
राज्य के निवल ऋण उपलब्धता	(-) 205	(-) 678	1,367	890	29

स्रोत: राज्य वित्त लेखें

\*2015-16 और 2016-17 के दौरान जारी किए गए यूडीएवाई (उदय) बांड पर ₹284.12 करोड़ के ब्याज भुगतान सहित।

राज्य सरकार का सार्वजनिक ऋण 2013-14 में ₹26,490 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹38,823 करोड़ हो गया। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सार्वजनिक ऋण की वृद्धि दर 7.53 प्रतिशत से 13.58 प्रतिशत के बीच रही। **सार्वजनिक ऋण की वृद्धि दर 2017-18 में घटकर 8.58 प्रतिशत रह गई, जबकि पिछले वर्ष में यह 11.63 प्रतिशत थी।**

राजस्व प्राप्ति का ब्याज प्रतिशत 2013-14 में 7.59 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 8.25 प्रतिशत हो गया, लेकिन 2017-18 में घटकर 6.26 प्रतिशत हो गया। ऋण प्राप्ति के लिए ऋण भुगतान का प्रतिशत 2013-14 से 2017-18 की अवधि में 69.09 प्रतिशत के बीच था। 2017-18 के दौरान, उधार ली गई निधियों का 88 प्रतिशत मौजूदा देयताओं के निर्वहन के लिए उपयोग किया गया था। **पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान जीएसडीपी की वृद्धि दर 8.24 प्रतिशत से बढ़कर 11.07 प्रतिशत हो गई।** जीएसडीपी वृद्धि दर वर्ष 2015-16 और 2017-18 के दौरान

सार्वजनिक ऋण की वृद्धि की औसत दर से अधिक रही है। 2017-18 में निवल ऋण उपलब्धता 2016-17 में ₹890 करोड़ से घटकर 2017-18 में ₹29 करोड़ रह गई है।

### उधारीकृत निधियों का उपयोग

उधार धन का उपयोग स्व-सतत विकास गतिविधियों और सृजन या पूंजीगत संपत्तियों की वृद्धि पर किया जाना है और इसका उपयोग चालू व्यय के वित्तपोषण में नहीं किया जाता है। उधार और पुनः भुगतान, निवल पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के लिए इसके उपयोग की वर्ष-वार स्थिति निम्नलिखित रूप से दी गई है:

तालिका 1.32: पुनर्भुगतान, निवल पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के लिए निधि के उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधार राशि	पहले की उधार* ली गई धन राशि का पुनर्भुगतान (मूल) (प्रतिशत)	निवल पूंजीगत व्यय	निवल ऋण और अग्रिम संवितरित	उपलब्ध उधार धनराशि में से राजस्व व्यय का हिस्सा
(1)	(2)	(3)	(4)**	(5)	(6)=2-(3-4-5)
2013-14	6,002	2,087(34.77)	4,507(75.09)	117(1.95)	एनए@
2014-15	10,259	6,161(60.05)	5,134(50.04)	84(0.82)	एनए
2015-16	14,645	8,352(57.03)	7,331(50.06)	90(0.61)	एनए
2016-17	20,749	14,187(68.37)	8,286(39.93)	57(0.27)	एनए
2017-18	25,557	19,452(76.11)	10,353(40.51)	21(0.08)	एनए

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल उधार ली गई धनराशि का प्रतिशत हैं

\*सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान - वर्ष के दौरान देय ब्याज

\*\*कुल उधार ली गई धनराशि से कुछ निवल पूंजीगत व्यय को जाता है।

@एनए - लागू नहीं

वर्ष 2013-14 से 2017-18 में, राज्य सरकार ने कुल उधार ली गई धनराशि का 35 से 76 प्रतिशत पहले उधार ली गई मूल धन राशि की पुनर्भुगतान के लिए किया और बची हुई धनराशि का उपयोग आंशिक रूप से निवल पूंजीगत व्यय के लिए किया था।

<b>चार्ट 1.23: ऋण स्थिरता (अर्थात, ऋण-जीएसडीपी के बीच अनुपात)</b>	<b>चार्ट 1.24: राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान</b>																								
<table border="1"> <caption>चार्ट 1.23: ऋण स्थिरता (अर्थात, ऋण-जीएसडीपी के बीच अनुपात)</caption> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>अनुपात</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013-14</td> <td>27.70</td> </tr> <tr> <td>2014-15</td> <td>28.67</td> </tr> <tr> <td>2015-16</td> <td>27.33</td> </tr> <tr> <td>2016-17</td> <td>28.19</td> </tr> <tr> <td>2017-18</td> <td>27.56</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	अनुपात	2013-14	27.70	2014-15	28.67	2015-16	27.33	2016-17	28.19	2017-18	27.56	<table border="1"> <caption>चार्ट 1.24: राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान</caption> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013-14</td> <td>11.06</td> </tr> <tr> <td>2014-15</td> <td>12.21</td> </tr> <tr> <td>2015-16</td> <td>10.39</td> </tr> <tr> <td>2016-17</td> <td>10.88</td> </tr> <tr> <td>2017-18</td> <td>9.61</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	प्रतिशत	2013-14	11.06	2014-15	12.21	2015-16	10.39	2016-17	10.88	2017-18	9.61
वर्ष	अनुपात																								
2013-14	27.70																								
2014-15	28.67																								
2015-16	27.33																								
2016-17	28.19																								
2017-18	27.56																								
वर्ष	प्रतिशत																								
2013-14	11.06																								
2014-15	12.21																								
2015-16	10.39																								
2016-17	10.88																								
2017-18	9.61																								
<p>यह संकेत करता है कि जीएसडीपी के संबंध में सरकार के ऋण लगभग सतत रहा है।</p>	<p>यह संकेत करता है कि ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 9.61 प्रतिशत से 12.21 प्रतिशत का उपभोग कर रहा है।</p>																								

चार्ट 1.23 दिखाता है कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान जीएसडीपी को ऋण का अनुपात लगभग स्थिर रहा था जो 27.33 प्रतिशत से 28.67 प्रतिशत के बीच रहा था। चार्ट 1.24 दर्शाता है कि राजस्व प्राप्ति के रूप में ब्याज भुगतान उसी अवधि के दौरान घट गया था, सिर्फ 2014-15 को छोड़कर।

<b>चार्ट 1.25: स्वयं के राजस्व कर की तुलना में ऋण पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)</b>	<b>चार्ट 1.26: ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)</b>																								
<table border="1"> <caption>चार्ट 1.25: स्वयं के राजस्व कर की तुलना में ऋण पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)</caption> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013-14</td> <td>20.68</td> </tr> <tr> <td>2014-15</td> <td>20.93</td> </tr> <tr> <td>2015-16</td> <td>21.81</td> </tr> <tr> <td>2016-17</td> <td>26.41</td> </tr> <tr> <td>2017-18</td> <td>34.44</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	प्रतिशत	2013-14	20.68	2014-15	20.93	2015-16	21.81	2016-17	26.41	2017-18	34.44	<table border="1"> <caption>चार्ट 1.26: ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)</caption> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013-14</td> <td>69.09</td> </tr> <tr> <td>2014-15</td> <td>83.33</td> </tr> <tr> <td>2015-16</td> <td>73.85</td> </tr> <tr> <td>2016-17</td> <td>82.08</td> </tr> <tr> <td>2017-18</td> <td>88.00</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	प्रतिशत	2013-14	69.09	2014-15	83.33	2015-16	73.85	2016-17	82.08	2017-18	88.00
वर्ष	प्रतिशत																								
2013-14	20.68																								
2014-15	20.93																								
2015-16	21.81																								
2016-17	26.41																								
2017-18	34.44																								
वर्ष	प्रतिशत																								
2013-14	69.09																								
2014-15	83.33																								
2015-16	73.85																								
2016-17	82.08																								
2017-18	88.00																								
<p>यह दर्शाता है कि स्वयं के राजस्व कर का 20.68 प्रतिशत से 34.44 प्रतिशत ऋण पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया था</p>	<p>यह दर्शाता है कि ऋण प्राप्तियों का 69.09 प्रतिशत से 88 प्रतिशत हिस्सा पुराने बकाया ऋणों के भुगतान के लिए उपयोग किया गया था।</p>																								


**चार्ट 1.25** दर्शाता है कि स्वयं के राजस्व कर का प्रतिशत ऋण के पुनः भुगतान के लिए उपयोग किया गया था (वेज और मींस तथा ऑवर ड्राफ्ट को छोड़कर) जो 2013-14 से 2017-18 के दौरान 20.68 प्रतिशत से 34.44 प्रतिशत तक बढ़ गया था।

**चार्ट 1.26** दर्शाता है कि ऋण प्राप्त के प्रतिशत के रूप में ऋण की धन वापसी ने भी 2013-14 से 2017-18 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाया था क्योंकि यह 69.09 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक बढ़ गया था, पूर्व ऋण की धन वापसी के लिए किया गया था।

### ऋण परिपक्वता रूप रेखा


ऋण परिपक्वता रूप रेखा दर्शाता है कि ऋण का पुनर्भुगतान या ऋण सेवा के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो निम्नलिखित रूप से दिया गया:

**चार्ट 1.27: ऋण परिपक्वता रूपरेखा**



मार्च 2018 तक सार्वजनिक ऋण के परिपक्वता ने दर्शाया कि ₹38,379 करोड़<sup>8</sup> के कुल बकाया ऋण का ₹21,378 करोड़ (56 प्रतिशत) सात वर्षों तक और शेष ₹17,001 करोड़ (44 प्रतिशत) की शेष धनराशि सातवें वर्ष के बाद तक मैच्योरिटी बकट में थी।

**चार्ट 1.28: बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान सारणी (उदय बॉंड सहित)**



स्रोत: वित्त लेखें

<sup>8</sup> राज्य सरकार से प्रतीक्षित गैर योजना ऋण (₹96.28 करोड़), केन्द्रीय प्लान योजनाओं के लिए ऋण (₹9.24 करोड़), 1984-85 से पूर्व ऋण (₹37.78 करोड़) के संदर्भ में मैच्योरिटी प्रोफाइल पर सूचना



राज्य को अगले पांच वर्षों के दौरान 2022-23 तक ₹9,483 करोड़ के ब्याज सहित ₹11,867 करोड़ के बाजार ऋण और उदय बांड (31 मार्च 2018 तक ₹29,557 करोड़ के बकाया ब्याज ऋणों का 40 प्रतिशत हिस्सा) का पुनर्भुगतान करना होगा। ₹4,360 करोड़ के ब्याज सहित ₹17,690 करोड़ की राशि के शेष बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान आगामी वर्षों में 2031-32 तक किया जाना होगा। अर्थात्, राज्य को अगले पाँच वर्षों के दौरान ₹4,270 करोड़ की धनराशि का (वार्षिकी) पुनर्भुगतान करना होगा। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹4,463 करोड़ बाजार ऋणों (उदय बांड पर ब्याज सहित) का पुनर्भुगतान किया गया था।

राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय पिछले दस वर्षों में क्रमशः 14.10 प्रतिशत और 14.16 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ गया है। इन विकास दरों को लागू करके, 2021-22 के दौरान राजस्व अधिशेष की ₹6,405 करोड़ गणना की गई। राज्य वर्ष 2021-22 से उदय बांड की मूल राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उस वर्ष के दौरान उधार राशियाँ पिछले दस वर्षों की वार्षिक विकास दर से प्रक्षेपित की गई (23.82 प्रतिशत) जो ₹60,072 करोड़ हो गई। ₹74,804 करोड़ की देयताओं को पूरा करने के पश्चात् (₹214 करोड़ का मूल उदय बांड राशि के पुनर्भुगतान सहित) 2021-22 में पुनर्भुगतान के लिए देय राशि (में कमी हो जाएगी) घट जाएगी ₹6,405 करोड़ राशि की उधार निधियाँ और राजस्व ₹8,327 करोड़ तक कम हो जाएगी। राज्य सरकार को इस प्रकार अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता लेनी पड़ेगी।


### 1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन राजकोषीय मापदंड - राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्तीय साधनों में कुल राजस्व असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। घाटे का स्वरूप सरकार की राजस्व प्रबन्धन की संभावना का एक संकेतक है।


#### 1.11.1 घाटे में प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.29 2013-14 से 2017-18 के दौरान तीन घाटों पर समय श्रृंखला डेटा प्रदान करता है।

चार्ट 1.29: घाटों में प्रवृत्तियाँ



चार्ट 1.30: घाटे के संकेतक (प्रतिशत में)



**राजस्व अधिशेष:** राज्य ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 को छोड़कर राजस्व अधिशेष (आरएस) अनुरक्षण 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान किया है। **2017-18** में राजस्व अधिशेष ₹7,595 करोड़ था जो गलत वर्गीकरण और आरक्षित निधियों/ ब्याज के कम हस्तांतरण के कारण ₹2,881 करोड़ तक बढ़ गया था। 2014-15 और 2015-16 के दौरान वहां क्रमशः ₹390 करोड़ और ₹640 करोड़ का राजस्व घाटा था।

**राजकोषीय घाटा:** राजकोषीय घाटा (एफडी) वर्ष 2013-14 में ₹4,554 करोड़ से घटकर वर्ष 2017-18 में ₹2,778 करोड़ हो गया था। जीएसडीपी से एफडी का प्रतिशत वर्ष 2013-14 में 4.76 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 में 1.97 प्रतिशत हो गया था। राजकोषीय घाटा वर्ष 2016-17 में ₹6,177 करोड़ से घटकर वर्ष 2017-18 में ₹2,778 करोड़ हो गया था।

**प्राथमिक घाटा/अधिशेष:** प्राथमिक घाटा (पीडी) वर्ष 2013-14 में ₹1,553 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹1,610 करोड़ हो गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹1,885 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष था। चार्ट 1.30 2013-14 से 2017-18 की अवधि में जीएसडीपी से संबंधित मुख्य घाटे की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।

**प्राथमिक राजस्व शेष:** राज्य गैर-ऋण प्राप्तियों और उसके गैर-ब्याज राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को बताता है। उस सीमा को दर्शाता जिससे सरकार की गैर-ऋण प्राप्तियाँ पूंजी लेखों पर हुए व्यय को पूरा करने में सक्षम थी। **2017-18 में राज्य ने ₹12,263 करोड़ की राशि का प्राथमिक राजस्व अधिशेष दर्ज किया। (तालिका 1.36)।**

#### राजस्व अधिशेष/ राजकोषीय घाटे का असर

राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा अधिक और ज्यादा नीचे दिया गया है।

तालिका 1.33: प्रभावी राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (बढ़ाकर)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (कम कर के)	निवल प्रभाव लेने से पहले अनुपात (प्रतिशत में)		निवल प्रभाव लेने के बाद अनुपात (प्रतिशत में)	
			आरएस/ जीएसडीपी	एफडी/ जीएसडीपी	आरएस/ जीएसडीपी	एफडी/ जीएसडीपी
सहायक अनुदान का वर्गीकरण पूंजीगत व्यय के रूप में किया गया।	2,395.97	--	5.39	1.97	3.35	1.99
परिचालन लागत और पीडीएस के यातायात/ हैंडलींग प्रभारों को पूंजीगत व्यय (रूप में) वर्गीकृत किया गया।	301.99	--				
वजीफा और छात्रवृत्ति पूंजीगत व्यय के तहत बुक किए गए।	0.43	--				
अनुवृत्ति (आर्थिक सहायता) पूंजीगत व्यय के तहत बुक किए गए।	152.00	--				
वेतन पूंजीगत व्यय के तहत बुक किए गए।	2.94	--				
गारंटी शोधन निधि में कम अंशदान किया गया।	12.17	12.17				
ब्याज वहन निधि और जमा पर ब्याज का नहीं/ कम भुगतान।	14.98	14.98				
2017-18 के दौरान अलेखबद्ध आकस्मिक निधि।	0.17	0.17				
<b>कुल निवल प्रभाव</b>	<b>2,880.65</b>	<b>27.32</b>				

राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करने के कारण ₹7,595 करोड़ का राजस्व अधिशेष ₹2,880.65 करोड़ तक बढ़ गया जबकि आरक्षित निधियों को निधि/ व्याज के कम हस्तांतरण के कारण राजकोषीय घाटा ₹27.32 करोड़ तक कम हो गया।

#### 1.11.2 राजकोषीय घाटा और इसके वित्तीय पैटर्न के घटक

राजकोषीय घाटे के वित्तीय पैटर्न में हुए संरचनात्मक बदलाव निम्नलिखित रूप से दिए गए हैं:

तालिका 1.34: राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्तीय पैटर्न

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>राजकोषीय घाटे के घटक</b>						
1.	पूँजीगत व्यय	4,507	5,134	7,331	8,286	10,353
2.	निवल ऋण और अग्रिम	117	84	90	57	21
<b>वित्त के माध्यम से</b>						
1.	राजस्व अधिशेष	70	(-)390	(-)640	2,166	7,595
2.	राजकोषीय घाटा	4,554	5,608	8,060	6,177	2,778
<b>राजकोषीय घाटे का वित्त पैटर्न@</b>						
1.	बाजार उधार	1,919	1,811	3,926	3,815	3,152
2.	जीओआई से ऋण	(-)64	(-)100	(-) 96	(-)90	(-)84
3.	लघु बचते, पीएफ इत्यादि	1,990	2,232	2,886	1,846	1,556
4.	जमा और अग्रिम	158	376	112.39	949	1,084
5.	उचंत और विविध	(-) 48	(-)237	(-) 131	(-)93	(-140)
6.	प्रेषण	1,169	2,545	(-) 208	(-)690	(-)2,955
7.	आरक्षित निधियां	403	(-)677	214	334	290
8.	नकद शेष की गिरावट(+)/शेष नकद शेष से अभिवृद्धि(-)	(-)972	(-)338	(+)874	(+)98	(-)125

@ ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान निर्धारित के संवितरण/ बहिर्गमन से नहीं हैं।

तालिका 1.35: राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने वाले घटकों के तहत प्राप्तियां व संवितरण

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा		प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजार उधार	25,526	2,2374	3,152
2	जीओआई से ऋण	32	116	(-)84
3	लघु बचत, भविष्य निधि आदि।	5,032	3,476	1,556
4	जमा और अग्रिम	4,893	3,809	1,084
5	आरक्षित निधियां	419	129	290
6	उचंत और विविध	3,842	3,982	(-)140
7	प्रेषण	933	3,888	(-)2,955
8	<b>कुल मिलाकर अधिशेष (-) deficit (+)</b>	<b>40,677</b>	<b>37,774</b>	<b>2,903</b>
9	वृद्धि (-) कमी (+) नकद शेष में	29	154	(-)125
10	<b>सकल राजकोषीय घाटा</b>	<b>40,706</b>	<b>37,928</b>	<b>2,778</b>

स्रोत: राज्य वित्त लेखे

### घाटे अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे (एफडी) से राजस्व घाटे (आरडी) का अनुपात और प्राथमिक घाटे और पूंजीगत व्यय (ऋण और अग्रिमों सहित) में प्राथमिक घाटे का द्विभाजन राज्य के वित्तीय साधनों में घाटे की गुणवत्ता को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात दर्शाता है कि किस हद तक उधार ली गई निधि का उपयोग वर्तमान खपत के लिए किया गया था। इसके अलावा, राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का निरन्तर अनुपात यह दर्शाता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लगातार सिकुड़ रहा था और उधारी (राजकोषीय घाटे) के पास कोई भी पूर्तिकर परिसंपत्ति नहीं थी।

तालिका 1.36: प्रारंभिक घाटा/ अधिशेष - घटकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण और अग्रिमों	प्राथमिक व्यय	पूंजीगत व्यय/ प्राथमिक व्यय का प्रतिशत	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)	आरएस, आरडी/ जीएसडीपी (प्रतिशत)	आरएस, आरडी/ आरई (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (4/6)	8 (2-3)	9 (2-6)	10	11
2013-14	27,132	24,057	4,507	121	28,685	16	3,075	(-)1,553	0.07	0.26
2014-15	28,942	25,796	5,134	87	31,017	17	3,146	(-) 2,075	-0.40	-1.33
2015-16	35,785	32,701	7,331	94	40,126	18	3,084	(-) 4,341	-0.55	-1.76
2016-17	41,997	35,245	8,286	76	43,607	19	6,752	(-) 1,610	1.71	5.44
2017-18	48,516	36,253	10,353	25	46,631	22	12,263	(+)1,885	5.39	18.56

- राजस्व की गैर-ऋण प्राप्तिर्यों में मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तिर्याँ और ऋण और अग्रिमों की वूसली शामिल थी जो प्राथमिक राजस्व व्यय से अधिक थी।
- 2013-14 में कुल प्राथमिक व्यय ₹28,685 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹46,631 करोड़ हो गया था। यह प्राथमिक राजस्व व्यय में ₹12,196 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ था, जबकि पूंजीगत व्यय में ₹5,846 करोड़ की वृद्धि हुई थी।
- 2013-14 में प्राथमिक राजस्व अधिशेष जो ₹3,075 करोड़ था, 2017-18 में यह बढ़कर ₹12,263 करोड़ हो गया था।
- 2013-14 में प्राथमिक घाटा जो ₹1,553 करोड़ था, 2017-18 के दौरान ₹1,885 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में बदल गया।

तालिका 1.37: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व घाटा (-) /अधिशेष (+)	(+)70	(-)390	(-)640	(+)2,166	(+)7,595
निवल पूंजीगत व्यय	(-)4,507	(-)5,134	(-)7,331	(-)8,286	(-)10,353
निवल ऋण और अग्रिम	(-)117	(-)84	(-)90	(-)57	(-)21
राजकोषीय घाटा	(-)4,554	(-)5,608	(-)8,060	(-)6,177	(-)2,778

2013-14 की तुलना में वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता में सुधार किया गया है। राजकोषीय घाटा 2015-16 में ₹8,060 करोड़ से 2017-18 में ₹2,778 करोड़ तक कम हुआ। राजकोषीय घाटे को लोक लेखा (जिसमें से छोटी बचत, भविष्य निधि, प्रेषण एवं आरक्षित निधि आदि का प्रमुख भाग बनता था) से ऋणों तथा बाजार ऋणों के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

### 1.12 निष्कर्ष

एक विशेष दर्जे का राज्य होने के नाते राज्य का केन्द्र सरकार से केन्द्रीय करों तथा अनुदानों में अधिक भाग था। केन्द्रीय संसाधनों पर राज्य की निर्भरता 2013-14 में 66 प्रतिशत से 2017-18 में 71 प्रतिशत तक बढ़ी। पिछले पांच वर्षों के दौरान, कुल पूंजीगत व्यय में 2013-14 में ₹4,507 करोड़ से 2017-18 में ₹10,353 करोड़ तक वृद्धि हुई थी। राज्य का स्वयं का कर राजस्व (एसओटीआर) 2013-14 में ₹6,273 करोड़ से 2017-18 में ₹9,536 करोड़ तक बढ़ा।

2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष से 15.56 प्रतिशत तक अधिक वृद्धि हुई जबकि पूंजीगत प्राप्तियों में 2017-18 के दौरान पिछले वर्ष से 23.08 प्रतिशत तक अधिक वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में अधिक वृद्धि केन्द्रीय करों/शुल्कों तथा अनुदान सहायता के राज्य के भाग में वृद्धि की वजह से हुई थी।

अनुदान सहायता में 2016-17 में ₹20,598 करोड़ से 2017-18 में ₹22,702 करोड़ तक ₹2,104 करोड़ की वृद्धि हुई थी। 2017-18 के दौरान राज्य सरकार भारत सरकार से अनुदान सहायता पर राजस्व प्राप्तियों के 47 प्रतिशत की सीमा तक निर्भर है।

2017-18 के दौरान राज्य के स्वयं के ₹13,898 करोड़ के संसाधन ₹27,500 करोड़ की इसकी प्रतिबद्ध देयताओं (वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन तथा आर्थिक सहायता) को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान तथा आर्थिक सहायता के कारण प्रतिबद्ध व्यय, राजस्व व्यय का 67 प्रतिशत बनाता है।

2017-18 की समाप्ति पर ₹554 करोड़ का नकद शेष ₹2,164 करोड़ की चिन्हित आरक्षित निधि से कम था जिसका तात्पर्य यह है कि आरक्षित निधियों का उपयोग अभीष्ट प्रयोजन के अलावा अन्य हेतु किया गया था।

विकास पूंजीगत व्यय में वृद्धि यह दर्शाती है कि सरकार विकास कार्यों तथा परिसम्पत्तियों के सृजन के प्रति व्यय कर रही है।

सरकार की सम्पूर्ण वित्तीय देयताएं 31 मार्च 2017 की समाप्ति पर ₹62,219 करोड़ से 31 मार्च 2018 की समाप्ति पर ₹68,217 करोड़ तक बढ़ी। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि ₹68,217 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2017-18 हेतु 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग में प्रक्षेपित ₹66,639 करोड़<sup>9</sup> की सीमा से ₹1,578 करोड़ अधिक थी।

राज्य का आन्तरिक ऋण 2016-17 में ₹34,266.75 करोड़ से 2017-18 में ₹37,418.53 करोड़ तक 9.20 प्रतिशत बढ़ा।

31 मार्च 2018 तक बकाया बाजार ऋण ₹26,019 करोड़ था जोकि ₹37,419 करोड़ के कुल आन्तरिक ऋण का 69.53 प्रतिशत था। बाजार उधारियों में 2016-17 में ₹20,724 करोड़ से 2017-18 में ₹25,526 करोड़ तक ₹4,802 करोड़ (23.17 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। निवल ऋण उपलब्धता 2016-17 में ₹890 करोड़ से 2017-18 में ₹29 करोड़ तक कम हुई।

राज्य की 2016-17 में ₹1,610 करोड़ के प्राथमिक घाटे को 2017-18 के दौरान ₹1,885 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में रूपान्तरित किया गया। राज्य का राजस्व अधिशेष था। जो 2016-17 में ₹2,166 करोड़ से 2017-18 के दौरान ₹7,595 करोड़ तक बढ़ा। राज्य सरकार ने 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग के लक्ष्यों के अनुसार राजस्व अधिशेष तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा किया है।

राजकोषीय घाटा (एफडी) 2016-17 में ₹6,177 करोड़ से 2017-18 में ₹2,778 करोड़ तक कम हुआ। जीएसडीपी के 1.97 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटा 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग (तीन प्रतिशत) की सिफारिशों के तहत था।

9 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (जीएसडीपी का 47.30 प्रतिशत) के आधार पर संगणित

